अरबईन नववी

इमाम अबू ज़करिय्या यहया बिन शरफ़ नववी

अनुवाद एवं संक्षिप्त व्याख्या

मुश्ताक़ अहमद नदवी

प्रकाशक

दारुलहदीस, कटिहार (बिहार)

सभी अधिकार लेखक के लिए सुरक्षित हैं।

विषयसूची

अपनी बात	8
इमाम नववी की प्रस्तावना	12
पहली हदीस : नीयत का महत्व	17
दूसरी हदीस : इस्लाम, ईमान तथा एहसान की व्याख्या	20
तीसरी हदीस : इस्लाम के स्तंभ	24
चौथी हदीस : शृष्टि के विभिन्न चरण	27
पाँवीं हदीस : बिदअत का अग्रहणयोग्य होना	29
छठी हदीस : संदेहास्पद स्थानों से बचने की ताकीद	31
सातवीं हदीस : इस्लाम शुभाकांक्षा का धर्म है	33
आठवीं हदीस : रक्त एवं धन का सम्मान	36
नवीं हदीस : बाल की खाल निकालने तथा मतभेद की मनाही	38
दसवीं हदीस : हलाल रोज़ी का महत्व	40
ग्यारहवीं हदीस : संदेह से बचने का आदेश	42
बारहवीं हदीस : निरर्थक कामों से बचने का निर्देश	44
तेरहवीं हदीस : इस्लामी बंधुत्व के तक़ाज़े	45
चौदहवीं हदीस : नाहक़ रक्तपात से मनाही	47

पंद्रहवीं हदीस : पड़ोसी एवं अतिथि का सम्मान 49

सोलहवीं हदीस : क्रोध से बचने का आदेश 51

सत्रहवीं हदीस : हर काम अच्छे अंदाज़ में करने का आदेश 52

अठारहवीं हदीस : सद्व्यवहार का आदेश 54

उन्नीसवीं हदीस : तक़दीर पर ईमान 56

बीसवीं हदीस : हया का महत्व 59

इक्कीसवीं हदीस : इस्लाम पर दृढ़ता से जमे रहने का आदेश 60

बाईसवीं हदीस : जन्नत का रास्ता 61

तेईसवीं हदीस : नेकी के कुछ महत्वपूर्ण कार्य 63

चौबीसवीं हदीस : लोगों पर अल्लाह के कुछ उपकार 65

पच्चीवसीं हदीस : सदक़ा का व्यापक अर्थ 68

छब्बीसवीं हदीस : इनसान के हर जोड़ की ओर से सदक़ा 71

सत्ताईसवीं हदीस : नेकी और गुनाह 73

अट्ठाईसवीं हदीस : शासकों का आज्ञापालन एवं सुन्नत का अनुसरण 75

उनतीसवीं हदीस : भलाई के द्वार 77

तीसवीं हदीस : अल्लाह की सीमाओं का आदर 80

इकतीसवीं हदीस : दुनिया के मायाजाल से मुक्ति 82

बत्तीसवीं हदीस : हानि स्वीकार्य नहीं 84

तेंतीसवीं हदीस : निर्णय के नियम 86

चौंतीसवीं हदीस : बुराई से रोकना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य 88

पैंतीसवीं हदीस : इस्लामी बंधुत्व को कमज़ोर करने वाली कुछ चीज़ें 90

छत्तीसवीं हदीस : मुसलमानों की ज़रूरतें पूरी करने का महत्व 93

सैंतीसवीं हदीस : नेकियों की प्रेरणा 96

अड़तीसवीं हदीस : अल्लाह के औलिया 98

उनतालीसवीं हदीस : गलती से तथा भूलवश किए हुए काम की पकड़ न होना100

चालीसवीं हदीस : दुनिया के माया मोह से दामन बचनाए रखने की ताकीद 102

इकतालीसवीं हदीस : नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण 104

बयालीसवीं हदीस : अल्लाह की असीम क्षमा 106

तेंतालीसवीं हदीस : मीरास की तक़सीम 109

चवालीसलवीं हदीस : दूध के रिश्ते 111

पैंतालीसवीं हदीस : हराम वस्तु को हलाल करने की तदबीर करना 113

छियालीसवीं हदीस : नशीली चीज़ों की मनाही 115

सैंतालीसवीं हदीस : खान-पान में संतुलन 117

अड़तालीसवीं हदीस : मुनाफ़िक़ की निशानियाँ 119

उनचासवीं हदीस : अल्लाह पर पूर्ण विश्वास 121

पचासवीं हदीस : अल्लाह के ज़िक्र का महत्व 123

अपनी बात

हज्जतुल-वदा के अवसर पर, जब अरफ़ा के मैदान में हज़ारों का मजमा था, अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया था कि तुममें से जो लोग उपस्थित हैं, वे मेरा संदेश उन लोगों तक पहुँचा दें, जो उपस्थित नहीं हैं। आपका यह आदेश केवल उन लोगों के लिए नहीं था, जो उस दिन वहाँ उपस्थित थे, बल्कि क़यामत के दिन तक जन्म लेने वाले और दुनिया के किसी भी भाग में रहने वाले उन तमाम लोगों के लिए था, जिनके पास क़ुरआन तथा हदीस का ज्ञान हो। यहीं से क़ुरआन और हदीस का अनुवाद दूसरी भाषाओं में करने का महत्व स्पष्ट हो जाता है; क्योंकि अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने का एक बड़ा और व्यापक साधन अनुवाद है। हमें बड़ी ख़ुशी होती है, जब हम देखते हैं कि इस्लामिक विद्वानों ने इस काम की आवश्यकता के मद्देनज़र, इसे बहुत पहले ही शुरू कर दिया था और इस्लाम की मूल पुस्तकों को अरबी के अतिरिक्त अन्य बहुत सारी भाषाओं में ढालकर पूरी दुनिया के सामने रखने के प्रयास में जुट गए थे। उर्दू, फ़ारसी और बंगला भाषाएँ इसका जीता-जागता उदाहरण हैं। लेकिन, आज वैश्वीकरण और ज्ञान-विस्फोट के इस दौर में इस कार्य का महत्व और बढ़ गया है और इसे और व्यापकता प्रदान करने की ज़रूरत महसूस की जा रही है। ख़ास तौर से जब हम यह देखते हैं कि हिंदी जैसी एक बहुत बड़ी भाषा में हदीस

की छह महत्वपूर्ण किताबों, जिन्हें 'कुतुब-ए-सित्ता' के नाम से जाना जाता है, का भी अनुवाद नहीं हो पाया है, तो इस कार्य की आवश्यकता का अहसास और तीव्र हो जाता है।

यह अहसास पिछले कई सालों से लगातार मेरा पीछा करता रहा, लेकिन जब मैं आज से तीन साल पहले विश्व प्रसिद्ध इस्लामिक वेबसाइट 'इस्लाम हाउस' से जुड़ा और इस अवधि में कई किताबों और महत्वपूर्ण प्रोजैक्ट्स को अरबी से हिंदी का रूप देने का अवसर प्राप्त किया, विशेष रूप से 'हदीस ज्ञानकोश' के काम में शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त किया, तो हदीस की किताबों को हिंदी का रूप देने की आवश्यकता का अहसास धीरे-धीरे एक संकल्प का रूप धारण करने लगा और अल्लाह का नाम लेकर काम शुरू भी कर दिया गया, जिसका पहला नतीजा आपके सामने है। मैं इसे महज़ अल्लाह की कृपा समझता हूँ कि उसने मुझे 'अरबईन नववी' को हिंदी का जामा पहनाने का सामर्थ्य प्रदान किया और उससे दुआ करता हूँ कि हदीस-ए-रसूल के साथ शुरू होने वाली मेरी यह यात्रा गंतव्य तक पहुँचकर ही समाप्त हो। वैसे, इमाम नववी ही की एक अन्य पुस्तक 'रियाज़ अस-सालिहीन' के भी कुछ भाग का काम हो चुका है और अल्लाह ने चाहा, तो कुछ दिनों में वह भी आपके सामने होगी।

मैंने इमाम नववी के द्वारा जमा की गई बयालीस हदीसों के साथ प्रख्यात विद्वान इब्न-ए-रजब हंबली के द्वारा जोड़ी गई आठ हदीसों को भी शामिल कर लिया है, ताकि पाठकों को प्यारे रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की ऐसी पचास हदीसों से लाभांवित होने का अवसर

प्राप्त हो जाए, जो बड़ी व्यापक होने के साथ-साथ सफल जीवन के सभी मूल्यों एवं आदर्शों को चरितार्थ करती हैं। इमाम नववी ने हर हदीस के बाद इसका उल्लेख कर दिया था कि हदीस किस किताब से ली गई है। मैंने आसानी के मद्देनज़र उक्त किताबों के हदीस नंबर भी दे दिए हैं। मैंने पाठकों की आसानी के मद्देनज़र हर हदीस का शीर्षक भी डाल दिया है।

इमाम नववी ने अपनी प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख किया है कि उन्होंने किताब के अंत में एक अध्याय जोड़कर इस किताब में दर्ज हदीसों में जो कठिन तथा व्याख्या-तलब शब्द आए हैं, उनकी व्याख्या कर दी है। चूँकि अनुवाद के क्रम में आम तौर पर उन शब्दों का अर्थ स्पष्ट हो गया है और 'हदीस का संदेश' के तहत भी कुछ बातें आ गई हैं, इसलिए उन्हें अलग से ज़िक्र करने की ज़रूरत महसूस नहीं की गई।

मैं यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात का उल्लेख कर देना चाहता हूँ। इमाम नववी ने किताब की प्रस्तवाना में लिखा है कि उलेमा इस बात पर एकमत हैं कि विभिन्न कार्यों के सवाब तथा दंड के संबंध में 'ज़ईफ़' (दुर्बल) हदीसें ग्रहणयोग्य हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि इस विषय में उलेमा का हमेशा से मतभेद रहा है। कुछ विद्वानों ने दुर्बल हदीस को बिलकुल ही अग्रहणयोग्य माना है। यही प्रख्यात मुहद्दिस इब्न-ए-मईन का रुझान है और इसी को अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी ने अख़्तियार किया है। जबकि जिन लोगों ने सवाब तथा दंड के मामले में उसे ग्रहणयोग्य माना है, उन्होंने उसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं, जिन्हें उसूल-ए-हदीस की किताबों में देखा जा सकता है।

अनुवाद के बाद संक्षिप्त में हदीस का संदेश भी पेश कर दिया है और इस बात का पूरा प्रयास किया है कि भाषा सरल तथा सुबोध हो। मुझसे जहाँ तक हो सका, बेहतर करने की कोशिश की है। लेकिन मैं अपने प्रयास में कहाँ तक सफल हो सका हूँ, यह तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। पाठकों से मेरा अनुरोध है कि आप जहाँ भी कोई त्रुटि देखें, कमी महसूस करें या और अच्छा करने की गुंजाइश नज़र आए, मुझे ज़रूर अवगत करें। आपके सुझाओं और प्रामर्शों को बख़ुशी क़बूल किया जाएगा।

मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस कार्य के दौरान किसी भी रूप में मुझे सहयोग दिया।

दुआ है कि अल्लाह मुस्लिम समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति को, प्यारे नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के जीवन-मूल्यों को सामने रखकर जीवन बिताने का सामर्थ्य प्रदान करे।

मुश्ताक़ अहमद नदवी

28 अप्रैल 2019

इमाम नववी की प्रस्तावना

بسم الله الرحمن الرحيم

सारी प्रशंसा अल्लाह की है, जो सारे संसार का पालनहार है, आकाशों और धरतियों का संरक्षक है और वही सारी सृष्टियों को अपने हिसाब से चलाता है। उसने अपने बंदों की ओर रसूल भेजे, ताकि वे लोगों को अटल प्रमाणों और स्पष्ट दलीलों के माध्यम से सत्य का मार्ग दिखाएँ और इस्लामी जीवन व्यतीत करने का तरीक़ा सिखाएँ। मैं उसके सारे उपकारों पर उसकी प्रशंसा करता हूँ और उसकी अनुग्रह का प्रार्थी हूँ तथा गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं, जो अकेला है, प्रभुत्वसंपन्न है, दयालु है और क्षमावान है।

मैं गवाही देता हूँ कि मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के बंदे, उसके रसूल और उसके परम-मित्र हैं। आप सारी सृष्टियों से उत्तम हैं। आपको क़ुरआन जैसी एक अद्भुत पुस्तक दी गई है, जो सदयाँ गुज़र जाने के बावजूद आज भी एक चमत्कार है। आपको ऐसी सुन्नत भी दी गई है, जो सत्य का मार्ग तलाश करने वालों को राह दिखाती रहेगी। आपकी एक और विशेषता भी है। आपको कम से मक शब्दों में बड़ी से बड़ी बात करने की शक्ति प्रदान की गई थी। इसी तरह आपको इस्लाम के रूप में एक उदार और व्यापक धर्म भी दिया गया है। दरूद

व सलाम हो आपपर, सारे नबियों और रसूलों पर, उन सभी महापुरुषों की संतानों पर तथा सत्कर्मियों और सदाचारियों पर।

अल्लाह की प्रशंसा के बाद मुझे यह कहना है कि अली बिन अबू तालिब, अब्दुल्लाह बिन मसऊद, मुआज़ बिन जबल, अबू दरदा, अब्दुल्लाह बिन उमर, अब्दुल्लाह बिन अब्बास, अनस बिन मालिक, अबू हुरैरा और अबू सईद ख़ुदरी (रज़ियल्लाहु अनहुम) से बहुत-सी सनदों से और अलग-अलग रिवायतों से हमें एक हदीस मिली है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : "जिसने मेरी उम्मत के लिए, उसके धर्म से संबंधित चालीस हदीसें सुरक्षित कीं, उसे क़यामत के दिन अल्लाह आलिमों और फ़क़ीहों के साथ उठाएगा।"

तथा एक रिवायत में है : "उसे अल्लाह फ़क़ीह तथा आलिम बनाकर उठाएगा।"

अबू दरदा (रज़ियल्लाहु अनहु) की रिवायत के अनुसार : "मैं क़यामत के दिन उसकी सिफ़ारिश करूँगा और उसके हक़ में गवाही दूँगा।"

अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ियल्लाहु अनहु) की रिवायत के अनुसार : "उससे कहा जाएगा कि तुम जन्नत के जिस द्वार से चाहो, प्रवेश कर जाओ।"

तथा अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अनहु) की रिवायत के मुताबिक़ : "उसे आलिमों के गिरोह में लिख लिया जाएगा और शहीदों के साथ उठाया जाएगा।"

यही कारण है कि उलेमा ने चालीस हदीसों पर आधारित बहुत-सी किताबें लिखी हैं। मेरी जानकारी के अनुसार इस संबंध में सबसे पहले क़लम अब्दुल्लाह बिन मुबारक ने उठाई। फिर दिग्गज आलिम मुहम्मद बिन असलम तूसी, फिर हसन बिन सुफ़यान नसवी, अबू बक्र आजुर्री, अबू बक्र मुहम्मद बिन इबराहीम असफ़हानी, दारक़ुतनी, हाकिम, अबू नुऐम, अबू अब्दुर्रमान सुल्लमी, अबू साद मालीनी, अबू उसमान साबूनी, मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अंसारी, अबू बक्र बैहक़ी तथा पहले और बाद के अनगिनत लोगों ने इस विषय पर किताबें लिखी हैं। मैंने इन्हीं प्रख्यात इमामों और हदीस के हाफ़िज़ों का अनुसरण करते हुए चालीस हदीसें जमा करने के संबंध में अल्लाह से 'इस्तिख़ारा' (दो रकात नमाज़ पढ़ने के बाद अल्लाह से यह दुआ करना कि ऐ अल्लाह अगर यह काम मेरे लिए बेहतर है तो मुझे इस काम पर लगा दे और अगर मेरे लिए बेहतर नहीं है तो मुझे इससे दूर कर दे।) किया। वैसे, उलेमा इस बात पर एकमत हैं कि विभिन्न कार्यों के सवाब तथा दंड के संबंध में 'ज़ईफ़' (दुर्बल) हदीसें ग्रहणयोग्य हैं। लेकिन, इसके बावजूद मैंने इस हदीस को आधार बनाने की बजाय अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की इस सहीह हदीस को आधार बनाया कि "तुममें से जो उपस्थित है, वह उसे पहुँचा दे, जो उपस्थित नहीं है" तथा आपके इस फ़रमान को बुनियाद माना कि "अल्लाह उस व्यक्ति को हरा-भरा (प्रसन्नचित) रखे, जिसने मेरी बात सुनी और उसे जैसे सुना था, उसी तरह पहुँचा दिया।"

फिर, चालीस हदीसें जमा करते समय, कुछ अलेमा ने इस्लाम के सिद्धांतों से संबंधित हदीसों को जमा किया, कुछ विद्वानों ने शरई आदेशों पर आधारित हदीसों को एकत्र किया, कुछ लोगों ने जिहाद से

ताल्लुक़ रखने वाली हदीसों का संग्रह तैयार किया, किसी ने दुनिया के मायामोह से मुक्त रहने की हदीसें चुनीं, किसी ने इस्लामी शिष्टाचार को उजागर करने वाली हदीसों पर ध्यान दिया, तो किसी ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के भाषणों को एकत्र किया। यह सारे प्रशंसनीय उद्देश्य के तहत किए गए काम हैं। (अल्लाह इन उद्देश्यों के तहत काम करने वालों से प्रसन्न हो!)

लेकिन, मैंने सोचा कि चालीस हदीसों का एक ऐसा संग्रह तैयार किया जाए, जो इन सभी संग्रहों से अधिक महत्वपूर्ण हो। ऐसी चालीस हदीसें जमा की जाएँ, जो उक्त तमाम विषयों पर आधारित हों। उनमें से हर हदीस इस्लाम का कोई न कोई महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत करती हो। उलेमा ने उसे इस्लाम का आधार, आधा इस्लाम, तिहाई इस्लाम या इसी तरह कुछ और कहा हो। मैं इस बात की पूरी पाबंदी करूँगा कि इस संग्रह की सारी हदीसें सहीह हों, बल्कि अधिकतर हदीसें सहीह बुख़ारी और सहीह मुस्लिम की होंगी। मैं हदीस को सनद छोड़कर नक़ल करूँगा, ताकि याद करने और लाभ उठाने में आसानी हो, (इन शाअल्लाह!) तथा अंत में एक अध्याय में कठिन शब्दों का अर्थ भी बात दूँगा। हर मुसलमान को, जो आख़िरत को सँवारने की इच्छा रखता हो, चाहिए कि इन हदीसों से अवगत हो, जो सचमुच बड़ी महत्वपूर्ण बातों पर आधारित हैं और जिनमें हर उस काम से आगाह किया गया है, जो नेकी का काम समझा जाता है। यह केवल दावा नहीं है, बल्कि सोच-विचार करने वाले इसे आसानी से समझ सकते हैं। मैं अल्लाह ही पर भरोसा करता हूँ, ख़ुद को उसी के हवाले करता हूँ और उसी के सहारे आगे बढ़ता हूँ। उसी

की प्रशंसा है, वही उपकार करने वाला है, वही सामर्थ्य प्रदान करता है और वही हर परेशानी से बचाता है।

पहली हदीस

नीयत का मत्वह

عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَبِيْ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ : **"إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِىءٍ مَا نَوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا ، أَو امْرأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ"**- رَوَاهُ إِمَامَا الْمُحَدِّثِيْنَ أَبُوْ عَبْدِاللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُغِيْرَةَ بْنِ بَرْدِزْبَهْ الْبُخَارِيُّ ، وَأَبُوْ الْحَسَيْنِ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ بْنِ مُسْلِمٍ الْقُشَيْرِيُّ النِّيْسَابُوْرِيُّ ، فِيْ صَحِيْحَيْهِمَا اللَّذَيْنِ هُمَا أَصَحُّ الْكُتَبِ الْمُصَنَّفَةِ -

अनुवाद

अमीरुल मोमिनीन अबू हफ़्स उमर बिन ख़त्ताब (रज़ियल्लाहु अनहु) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना है : “सारे कार्यों का दारोमदार नीयतों पर है और प्रत्येक व्यक्ति को उसकी नीयत के अनुरूप ही परिणाम मिलेगा। अतः, जिसने अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत की, उसकी हिजरत अल्लाह और उसके रसूल के लिए है और जिसने दुनिया प्राप्त करने या किसी स्त्री से शादी रचाने के लिए हिजरत की, उसे वही मिलेगा जिसके लिए उसने हिजरत की।” इस हदीस को इमाम अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन इसमाईल बिन इबराहीम बिन मुग़ीरा बिन बरदज़बा बुख़ारी जोफ़ी ने सहीह बुख़ारी [हदीस संख्या : 1, 54, 2529, 3898 और 5070] में और

इमाम अबुल हुसैन मुस्लिम बिन हज्जाज बिन मुस्लिम क़ुशैरी नीसापूरी ने सहीह मुस्लिम [हदीस संख्या : 1907] में रिवायत किया है। ज्ञात हो कि यह दोनों किताबें हदीस की सबसे सहीह किताबें मानी जाती हैं।

संदेश

1. यह हदीस, उन हदीसों में से एक है, जो इस्लामी शिक्षाओं के आधार की हैसियत रखती हैं। कुछ इस्लामी विद्वानों ने इसे इस्लामी शिक्षाओं का आधा या एक तिहाई भाग क़रार दिया है। इसी हदीस से इमाम बुख़ारी ने अपनी किताब का आरंभ किया है।
2. नीयत दिल के इरादे का नाम है। जबकि शरीयत की परिभाषा में कोई काम करते समय अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने का इरादा नीयत कहलाता है।
3. इस हदीस में उल्लिखित शब्द 'सारे कार्यों' से अभिप्राय वह कार्य हैं, जिन्हें हम शरीयत की परिभाषा में 'इबादत' कहते हैं। इबादतों के ग्रहणयोग्य होने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें केवल अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए किया जाए। रही बात आम सांसारिक कार्यों की, तो उन्हें भी यदि सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ-साथ अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए किया जाए, तो वह भी पुण्य के कार्य बन जाते हैं।
4. हिजरत, किसी ऐसे स्थान से, जहाँ इस्लाम पर अमल करने की स्वतंत्रता न हो, किसी सुरक्षित स्थान की ओर चले जाने को कहते हैं और यह बड़ी नेकी का काम है। लेकिन, इतने महत्वपूर्ण एवं कठिन कार्य को भी यदि अल्लाह को ख़ुश करने की बजाय किसी

और इरादे से किया जाए, तो वह नेकी का काम नहीं रह जाता। बल्कि इसके उलट गुनाह का काम बन जाता है, जैसा कि कई हदीसों में स्पष्ट रूप से उल्लिखित है।

दूसरी हदीस

इस्लाम, ईमान तथा एहसान की व्याख्या

عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِسْلَامِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : **"الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَّا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَاً رَّسُوْلُ اللهِ ، وَتُقِيْمَ الصَّلَاةَ ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً"** قَالَ : صَدَقْتَ. فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ، قَالَ : فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِيْمَانِ، قَالَ : **"أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ"**ـ قَالَ : صَدَقْتَ، قَالَ فَأَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِحْسَانِ، قَالَ : **"أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ"**ـ قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ ، قَالَ : **"مَا الْمَسئُوْلُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ"** قَالَ : فَأَخْبِرْنِيْ عَنْ أَمَارَاتِها ، قَالَ : **"أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا ، وَأَنْ تَرَى الحُفَاةَ العُرَاةَ العَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ"** ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ : **"يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنِ السَّائِلُ؟"** قُلْتُ اللهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ، قَالَ : **"فَإِنَّهُ جِبْرِيْلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ."**

رَوَاهُ مُسْلِمٌ

अनुवाद

उमर (रज़ियल्लाहु अनहु) ही का वर्णन है, वह कहते हैं कि एक दिन हम लोग अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहू अलैहि व सल्लम) के पास बैठे हुए थे कि अचानक एक व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके वस्त्र अति सफ़ेद एवं बाल अति काले थे। उसके शरीर में यात्रा का कोई निशान नहीं था और हममें से कोई उसे पहचान भी नहीं रहा था। वह नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सामने

बैठ गया। उसने अपने दोनों घुटने आपके घुटनों से मिला लिए और दोनों हथेलियाँ दोनों रानों पर रख लीं। फिर बोला : ऐ मुहम्मद, मुझे बताइए कि इस्लाम क्या है? आपने उत्तर दिया : "इस्लाम यह है कि तुम इस बात की गवाही दो कि अल्लाह के अतिरिक्त कोई पूज्य नहीं तथा मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के रसूल हैं, नमाज़ क़ायम करो, ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े रखो तथा यदि सामर्थ्य हो तो अल्लाह के घर काबा का हज करो।" उसने कहा : आपने सही बताया। उमर (रज़ियल्लाहु अनहु) कहते हैं कि हमें आश्चर्य हुआ कि यह कैसा व्यक्ति है, जो पूछ भी रहा है और स्वयं उसकी पुष्टि भी कर रहा है?! उसने फिर कहा : मुझे बताइए कि ईमान क्या है? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फरमाया : "ईमान यह है कि तुम विश्वाश रखो अल्लाह, उसके फरिश्तों, उसकी पुस्तकों, उसके रसूलों, अंतिम दिन तथा भाग्य की अच्छाई और बुराई पर।" उस व्यक्ति ने कहा : आपने सही फ़रमाया। इसके बाद उसने कहा कि मुझे बताइए एहसान किया है? आप (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उत्तर दिया : "तुम अल्लाह की वंदना इस तरह करो, जैसे तुम उसे देख रहे हो। यदि अल्लाह को देखने की कल्पना उत्पन्न न हो सके, तो कम-से-कम यह सोचो कि वह तुम्हें देख रहा है।" उसने फिर पूछा : मुझे बताइए कि क़यामत कब आएगी? आपने फ़रमाया : "जिससे प्रश्न किया गया है, वह इस विषय में प्रश्न करने वाले से अधिक नहीं जानता।" उसने कहा : तो फिर मुझे क़यामत की निशानियाँ ही बता दीजिए? आपने कहा : "क़यामत की निशानी यह है कि दासी अपनी मालकिन को

जन्म देने लगे और तुम देखो कि नंगे पैर, नंगे बदन, निर्धन और बकरियों के चरवाहे ऊँचे-ऊँचे महलों पर गर्व करने लगें।" उमर (रज़ियल्लाहु अनहु) कहते हैं कि फिर वह व्यक्ति चला गया। जब कुछ क्षण बीत गए, तो अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने पूछा : "ऐ उमर, क्या तुम जानते हो कि यह सवाल करने वाला व्यक्ति कौन था?" मैंने कहा : अल्लाह और उसके रसूल ही भली-भाँति जानते हैं। तो आपने फरमाया : "यह जिबरील थे, जो तुम्हें तुम्हारा धर्म सिखाने आए थे।" इस हदीस को इमाम मुस्लिम [सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 8] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. यह एक महत्वपूर्ण हदीस है, जिसे 'हदीस-ए-जिबरील' के नाम से जाना जाता है। क्योंकि जिबरील लोगों को इस्लाम की मूल बातों से अवगत करने के लिए अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास आए थे और आपसे कई महत्वपूर्ण प्रश्न किए थे, जिनके माध्यम से हमें इस्लाम की मूल बातों का ज्ञान होता है।
2. ज्ञानी व्यक्तियों को चाहिए कि पूछने वाले को पूरा सम्मान दें, जैसा कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने जिबरील को दिया, जो एक अजनबी के भेस में आकर आपसे पूछ रहे थे।

3. जानकारी लेने वाले को भी चाहिए कि ज्ञानी व्यक्तियों के साथ शिष्टाचारयुक्त एवं आदरपूर्ण व्यवहार करे, जैसा कि जिबरील ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के साथ किया।
4. जब इस्लाम तथा ईमान दोनों शब्द एक साथ आएँ, तो इस्लाम की व्याख्या ज़ाहिरी चीज़ों और ईमान की व्याख्या बातिनी चीज़ों से की जाएगी।
5. इस्लाम के अर्कान (स्तंभ) पाँच हैं, जबकि ईमान के मूल आधार छह हैं।
6. एहसान अर्थात प्रत्येक कार्य को उत्तम तरीक़े से करने का अपना एक अलग महत्व है।
7. जो बात मालूम न हो, उसके बारे 'अल्लाह बेहतर जानता है' कहना चाहिए।
8. क़यामत कब आएगी, यह केवल अल्लाह ही जानता है।
9. इस हदीस में क़यामत की कुछ निशानियाँ बताई गई हैं। 'दासी अपनी मालकिन को जन्म दे' के कई अर्थ बताए गए हैं, जिनमें से एक यह है कि माता-पिता के साथ दुर्व्यवहार आम हो जाए और बच्चे अपने माता-पिता के साथ ऐसा व्यवहार करने लगें कि मानो वे उनके दास एवं दासी हों।

तीसरी हदीस

इस्लाम के स्तंभ

عَنْ أَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : **"بُنِيَ الْإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَّآ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَاً رَّسُوْلُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ"**. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

अनुवाद

अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन उमर बिन ख़त्ताब (रज़ियल्लाहु अनहुमा) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना है : "इसलाम की बुनियाद पाँच चीज़ों पर है; इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई सत्य पूज्य नहीं है और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात देना, काबा का हज करना और रमज़ान महीने के रोज़े रखना।" इस हदीस को बुख़ारी [सहीह बुख़ारी हदीस संख्या : 8 तथा 4514] तथा मुस्लिम [सहीह मुस्लि हदीस संख्या : 16] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. इस हदीस में इस्लाम को एक भवन के समान मानकर कहा गया है कि उसके चार स्तंभ हैं; केवल अल्लाह के पूज्य होने और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पैग़ंबर होने की गवाही

देना, नमाज़ क़ायम करना, ज़कात देना, अल्लाह के घर काबा का हज करना और रमज़ान महीने के रोज़े रखना।

2. केवल अल्लाह के पूज्य होने और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के रसूल होने की गवाही देना मुसलमान होने की पहली शर्त है। इसके बिना इस्लाम की कल्पना संभव नहीं है।
3. अल्लाह ने पाँच वक़्त की नमाज़ें फ़र्ज़ की हैं और हदीसों में उनके जान-बूझकर छोड़ने को कुफ़्र कहा गया है। नमाज़ क़ायम करने से आशय है, उसे नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक़, उसके सारे फ़र्ज़, वाजिब और सुन्नतों का लिहाज़ करते हुए, जमात के साथ पढ़ना और उसे पढ़ने का माहौल बनाना।
4. ज़कात मुसलमानों के धन का वह निश्चित भाग है, जो नियमित रूप से उनसे लेकर निर्धनों और ज़रूरतमंदों को दिया जाता है। ज़कात अदा न करने वालों को क़ुरआन और हदीस में बड़ी कठिन यातनाओं की धमकी दी गई है।
5. हज का मतलब है, विशेष दिनों में मक्का जाना और अल्लाह की इबादत के उद्देश्य से उसके पवित्र घर काबा का तवाफ़ करना, सफ़ा एवं मरवा पहाड़ियों के बीच दौड़ लगाना, अरफ़ा के मैदान में रुकना, मुज़दलिफ़ा और मिना में रात गुज़ारना, विशेष स्थानों में कंकड़ फेंकना, क़ुरबानी करना और सर के बाल मुँड़वाना अथवा छोटे करवाना, जैसे कार्य करना। यह हर स्वस्थ एवं सक्षम मुसलमान पर जीवन में एक बार फ़र्ज़ है और शक्ति होने के

बावजूद उसे न करने वाले को यहूदी या ईसाई होकर मरने की धमकी दी गई है।

6. रमज़ान के रोज़ों का अर्थ है, रमज़ान महीने के दिनों में अल्लाह की वंदना के उद्देश्य से फ़ज्र से सूर्यास्त तक खाने-पीने तथा अन्य रोज़ा तोड़ने वाली वस्तुओं से बचे रहना। अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) का फ़रमान है : "जिसने अल्लाह पर ईमान रखते हुए और सवाब की उम्मीद में रमज़ान महीने के रोज़े रखे, उसके पिछले सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं।"
7. इस्लाम के उक्त स्तंभों में से किसी भी स्तंभ के अनिवार्य होने का इनकार करते हुए उसे छोड़ने वाला मुसलमान नहीं रह जाता।

चौथी हदीस

सृष्टि के विभिन्न चरण

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ الصَّادِقُ المَصْدُوْقُ : "إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِيْ بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْماً نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُوْنُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُوْنُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ المَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيْهِ الرُّوْحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ : بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَعَمَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ. فَوَاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَايَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا"۔

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

अनुवाद

अबू अब्दुर्रहमान अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ियल्लाहु अनहु) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने, जो कि सच्चे थे और जिनकी सच्चाई सर्वमान्य थी, हमें बताया : "तुममें से हर व्यक्ति की सृष्टि-सामग्री उसकी माँ के पेट में चालीस दिनों तक वीर्य के रूप में एकत्र की जाती है। फिर इतने ही समय में वह जमे हुए रक्त का रूप धारण कर लेती है। फिर इतने ही दिनों में मांस का लोथड़ा बन जाती है। फिर उसकी ओर एक फ़रिश्ता भेजा जाता है, जो उसमें रूह फूँकता है। फिर उसे चार बातों का आदेश दिया जाता है; उसे कहा जाता है कि उसकी रोज़ी, उसकी आयु, उसके कर्म तथा उसके अच्छे या बुरे होने को लिख दे। अतः, उस अल्लाह की क़सम, जिसके सिवा कोई सत्य पूज्य

नहीं है, तुममें से कोई जन्नतियों के काम करता रहता है, यहाँ तक कि उसके और जन्नत के बीच केवल एक हाथ की दूरी रह जाती है कि इतने में उसपर तक़दीर का लिखा ग़ालिब आ जाता है और वह जहन्नमियों के काम करने लगता है और उसमें प्रवेश कर जाता है। इसी तरह, तुममें से कोई जहन्नमियों के काम करता रहता है, यहाँ तक उसके और जहन्नम के बीच केवल एक हाथ की दूरी रह जाती है कि इतने में उसपर तक़दीर का लिखा ग़ालिब आ जाता है और वह जन्नतियों के काम करने लगता है और जन्नत में प्रवेश कर जाता है।"

इस हदीस को इमाम बुख़ारी [सहीह बुख़ारी हदीस संख्या : 3208, 3332 एवं 6594] तथा इमाम मुस्लिम [सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 2643] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. इस हदीस में इनसान की सृष्टि का विवरण प्रस्तुत किया गया है और उसकी विभिन्न अवस्थाओं को चिह्नित किया गया है।
2. इस हदीस से मालूम हुआ कि इनसान जब माँ के पेट में होता है, तभी उसकी रोज़ी, आयु और कर्म के साथ-साथ यह भी लिख दिया जाता है कि वह अच्छा होगा या बुरा। इसी बात को मानने का नाम तक़दीर पर ईमान है।
3. इनसान का कर्म उसके जन्नती या जहन्नमी होने का कारण है।
4. इस हदीस से यह भी मालूम हुआ कि असल एतबार इनसान के अंतिम कर्म का होता है।

पाँचवीं हदीस

बिदअत का अग्रहणयोग्य होना

عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ عَبْدِ اللهِ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : **"مَنْ أَحْدَثَ فِيْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ"**- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ -

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِّمُسْلِمٍ : **"مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ-"**

अनुवाद

मोमिनों की माता, उम्म-ए-अब्दुल्लाह आइशा (रज़ियल्लाहु अनहा) कहती हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : "जिसने हमारे इस धर्म में कोई ऐसी नई चीज़ जारी की, जो उसका भाग नहीं है, तो वह ग्रहणयोग्य नहीं है।" इस हदीस को इमाम बुख़ारी [सहीह बुख़ारी हदीस संख्या : 2697] तथा इमाम मुस्लिम [सहीस मुस्लिम हदीस संख्या : 1718 तथा 17 एवं 18] ने रिवायत किया है।

तथा मुस्लिम की रिवायत में है : "जिसने कोई ऐसा कार्य किया, जिसके बारे में हमारा आदेश नहीं है, तो वह ग्रहणयोग्य नहीं है।"

संदेश

1. इस्लाम एक संपूर्ण धर्म है, इसमें किसी इज़ाफ़े की गुंजाइश नहीं है।
2. हर वह इबादत, जो किसी दलील से साबित न हो, अल्लाह के निकट ग्रहणयोग्य नहीं है।

3. वह सारे मामलात और अनुबंध, जिनसे इस्लाम ने मना किया है, इस्लाम की नज़र में वह सब के सब अमान्य हैं।

छठी हदीस

संदेहास्पद स्थानों से बचने की ताकीद

عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ النُّعْمَانِ بْنِ بِشِيْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : **"إِنَّ الْحَلاَلَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُوْرٌ مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِيْهِ. أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى . أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ"**۔

رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

अनुवाद

अबू अब्दुल्लाह नोमान बिन बशीर (रज़ियल्लाहु अनहुमा) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना : "निस्संदेह हलाल स्पष्ट है और हराम भी स्पष्ट है तथा दोनों के बीच कुछ चीज़ें अस्पष्ट हैं, जिन्हें बहुत-से लोग नहीं जानते। अतः, जो अस्पष्ट चीज़ों से बचा, उसने अपने धर्म और मान-सम्मान की रक्षा कर ली तथा जो अस्पष्ट चीज़ों में पड़ा, वह हराम में पड़ गया। जैसे, एक चरवाहा किसी सुरक्षित चरागाह के आस-पास जानवर चराए, तो संभावना रहती है कि जानवर उसके अंदर चले जाएँ। सुन लो, हर बादशाह का सुरक्षित चरागाह होता है। सुन लो, अल्लाह का सुरक्षित चरागाह उसकी हराम की हुई चीज़ें हैं। सुन लो, शरीर के अंदर मांस का एक टुकड़ा है, जब वह सही रहेगा, तो पूरा शरीर सही रहेगा और जब वह

बिगड़ेगा, तो पूरा शरीर बिगड़ जाएगा। सुन लो, मांस का वह टुकड़ा, दिल है।"
इस हदीस को ईमाम बुख़ारी [सहीह बुख़ारी हदीस संख्या : 2051] तथा इमाम मुस्लिम [सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 107 तथा 108] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. हलाल तथा हराम होने की दृष्टि से चीज़ें तीन प्रकार की होती हैं, स्पष्ट रूप से हलाल, स्पष्ट रूप से हराम तथा जिसका हलाल अथवा हराम होना स्पष्ट न हो।
2. इनसान को हलाल चीज़ों तक सीमित रहना चाहिए और हराम तथा अस्पष्ट वस्तुओं से बचना चाहिए।
3. अस्पष्ट चीज़ों का भी ख़ास हुक्म होता है और कुछ लोग शरई दलील के ज़रिए उसका पता लगा लेते हैं, परन्तु अधिकतर लोग वहाँ तक पहुँच नहीं पाते।
4. जो व्यक्ति अस्पष्ट वस्तुओं से नहीं बचता, वह अपने आपको लोगों की आलोचना का निशाना बना लेता है।
5. शरीर के अंदर दिल के महत्व को चिह्नित किया गया है और उसे सही रखने की ताकीद की गई है।
6. हराम की ओर ले जाने वाले रास्तों को बंद रखने की ताकीद की गई है।

सातवीं हदीस

इस्लाम शुभाकांक्षा का धर्म है

عَنْ أَبِيْ رُقَيَّةَ تَمِيْمِ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ- قُلْنَا : لِمَنْ ؟ قَالَ : لِلّٰهِ، وَلِكِتَابِهِ، وَلِرَسُوْلِهِ، وَلِأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَعَامَّتِهِمْ"- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

अनुवाद

अबू रुक़य्या तमीम बिन औस दारी (रज़ियल्लाहु अनहु) का वर्णन है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : "धर्म शुभचिंतन का नाम है।" हमने कहाः किसका? तो फ़रमाया : "अल्लाह, उसकी किताब, उसके रसूल, मुसलमान नेतृत्वकर्ताओं और आम मुसलमानों का।" इस हदीस को इमाम मुस्लिम [सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 55 तथा 96] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. इस हदीस में धर्म को शुभचिंतन का नाम दिया गया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शुभचिंतन कितना महत्वपूर्ण कार्य है।
2. अल्लाह के शुभचिंतन का अर्थ यह है कि बंदा उसपर ईमान रखे और किसी को उसका साझी ने ठहराए, उसे संपूर्णता और प्रताप

की विशेषताओं से विशेषित करे और सारी कमियों से पवित्र जाने तथा उसकी आज्ञा का पालन करे एवं अवज्ञा से बचे।

3. अल्लाह की किताब के शुभचिंतन का अर्थ यह है कि बंदा इस बात पर विश्वास रखे कि वह अल्लाह की किताब है, किसी इनसान की वाणी उसकी तरह नहीं हो सकती और कोई इनसान उस तरह की किताब ला नहीं ला सकता। साथ ही उसका आदर करे, उसे अच्छी तरह पढ़े, समझने का प्रयास करे, उसके आदेशों का पालन करे और उसकी शिक्षाप्रद बातों से शिक्षा ग्रहण करे।
4. अल्लाह के रसूल के शुभचिंतन का अर्थ यह है कि बंदा आपको अल्लाह का रसूल माने, आपकी लाई हुई शरीयत पर विश्वास रखे, आपके आदेशों तथा निषेधों का मानकर चले, आपसे प्रेम करने वालों से प्रेम करे तथा आपसे दुश्मनी रखने वालों से दुश्मनी रखे, आपकी सुन्नत को जीवित करने का प्रयास करे और लोगों को उसकी ओर बुलाए, आपके परिवार तथा सहाबा से मुहब्बत रखे और आपकी सुन्नत से मुँह मोड़ने वालों से दूर रहे।
5. मुसलमान नेतृत्वकर्ताओं में राजनीतिक नेतृत्वकर्ता और धार्मिक नेतृत्वकर्ता दोनों शामिल हैं और उनके शुभचिंतन का मतलब यह है कि सत्य के मामले में उनका सहयोग किया जाए, उनकी बात मानी जाए, उनसे सत्य पर चलने का आग्रह किया जाए और उन्हें हिकमत के साथ समझाया जाए तथा उनसे बग़ावत न की जाए।

6. आम मुसलमानों के शुभचिंतन से आशय यह है कि उन्हें दुनिया एवं आख़िरत की भलाई का मार्ग दिखाया जाए, उन्हें किसी तरह का कष्ट पहुँचाने से बचा जाए, हर तरह से उनकी सहायता की जाए, उनकी कमियों को छुपाया जाए, उन्हें नरमी के साथ भलाई का आदेश दिया जाए और बुराई से रोका जाए, बड़ों के साथ आदरपूर्ण और छोटों के साथ स्नेहपूर्ण बर्ताव किया जाए, उनके साथ धोखा न किया जाए और द्वेषपूर्ण भावना न रखी जाए, उनकी जान तथा माल की सुरक्षा की जाए और उनके लिए वही कुछ पसंद किया जाए, जो अपने लिए पसंद है और उनके लिए उसे नापसंद किया जाए जो अपने लिए नापसंद है।

आठवीं हदीस

रक्त एवं धन का सम्मान

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ قَالَ : **"أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَّا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدَاً رَّسُوْلُ اللهِ وَيُقِيْمُوْا الصَّلاَةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الْإِسْلاَمِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى"**- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

अनुवाद

अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अनहुमा) का वर्णन है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : "मुझे आदेश दिया गया है कि लोगों से युद्ध करूँ, यहाँ तक कि वे इस बात की गवाही दे दें कि अल्लाह के सिवा कोई पूज्य नहीं है और मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, नमाज़ क़ायम करें और ज़कात अदा करें। जब उन्होंने इतना कर लिया, तो अपनी जान तथा माल को इस्लाम के अधिकार के सिवा हमसे सुरक्षित कर लिया और उनका हिसाब (उच्च एवं प्रभावशाली) अल्लाह पर है।" इस हदीस को इमाम बुख़ारी [सहीह बुख़ारी हदीस संख्या : 25] एवं इमाम मुस्लिम [सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 22] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. अल्लाह के रसूल मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) भी अल्लाह के बंदे थे और आपको अल्लाह की ओर से आदेश प्राप्त होते थे।
2. इस्लाम का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ इस बात की गवाही देना है कि केवल अल्लाह ही एकमात्र पूज्य है और मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अल्लाह के रसूल हैं। उसके बाद नमाज़ और ज़कात की बारी आती है।
3. इस्लाम रक्त, धन और मान-सम्मान की सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है।
4. लोगों पर शरई अहकाम उनके ज़ाहिर के मुताबिक़ लागू होंगे, अंतरात्मा का मालिक तो बस अल्लाह है।
5. दोनों गवाहियाँ देने वाले, नमाज़ क़ायम करने वाले और ज़कात अदा करने वाले की इस्लामी अधिकारों, जैसे क़िसास और हद आदि की बिना पर पकड़ होगी।
6. रसूल का काम केवल अल्लाह का संदेश पहुँचा देना है और मख़लूक़ का हिसाब लेना अल्लाह का काम है। इसी तरह, रसूल के अत्तराधिकारियों का काम भी केवल अल्लाह का संदेश पहुँचा देना है। मानने अथवा न मानने वालों का हिसाब अल्लाह लेगा।

नवीं हदीस

बाल की खाल निकालने तथा मतभेद करने की मनाही

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِيَ الله تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : **"مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوْهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ؛ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ"**- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

अनुवाद

अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अनहु) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना है : "मैं तुम्हें जिस चीज़ से रोकूँ, उससे रुक जाओ और जिस चीज़ का आदेश दूँ, उसे जहाँ तक हो सके करो, क्योंकि तुमसे पहले के लोगों को उनके अधिक प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति और नबियों के विरोध ने हलाक किया है।" इस हदीस को इमाम बुख़ारी [सहीह बुख़ारी हदीस संख्या : 7288] तथा इमाम मुस्लिम [सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 1337 तथा 131] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. यह एक महत्वपूर्ण हदीस है, जिससे बहुत-से शरई अहकाम प्राप्त होते हैं।
2. अल्लाह और उसके रसूल के आदेशों तथा निषेधों का पालन करना ज़रूरी है।

3. इस्लाम इनसान को खठिनाई में नहीं डालता और किसी ऐसी बात का आदेश नहीं देता, जो उसकी शक्ति से बाहर हो।
4. यहाँ अधिक प्रश्न करने से मना किया गया है। वैसे, प्रश्न दो तरह के होते हैं; एक वह प्रश्न जो जानने के उद्देश्य से किए जाएँ, जैसा कि सहाबा करते थे और दूसरे वह जो बाल की खाल निकालने के लिए किए जाएँ। इस हदीस में इसी तरह के सवाल से मना किया गया है, क्योंकि यह निरर्थक होते हैं।
5. इस उम्मत के लोगों को अपने नबी के विरोध से मना किया गया है, जैसा कि पिछली उम्मतों के लोग किया करते थे और जिसके नतीजे में उनका विनाश हो गया था।
6. अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के किए हुए कार्य और आपकी बताई हुई बातें भी सुन्नत हैं, चाहे उनका उल्लेख क़ुरआन में हो या न हो।

दसवीं हदीस

हलाल रोज़ी का महत्व

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ : **"إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّباً وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ، فَقَالَ تَعَالَى : {يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحاً}**، وَقَالَ تَعَالَى : **{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ}** ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيْلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ،وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَ مَلْبَسَهُ حَرَامٌ، وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ"۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

अनुवाद

अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अनहु) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : "निश्चय अल्लाह पवित्र है और केवल पवित्र चीज़ों को ही ग्रहण करता है। उसने ईमान वालों को वही आदेश दिया है, जो रसूलों को दिया है। "उसने (रसूलों से) कहा : { يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (अर्थात, ऐ रसूलो, स्वच्छ चीज़ें खाओ और अच्छे कार्य करो। निश्चय, तुम जो कुछ करते हो, मैं सब जानता हूँ।) [सूरा अल-मोमिनून : 51] तथा (ईमान वालों से) कहा : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ} (अर्थात, ऐ ईमान वालो, उन स्वच्छ चीज़ों में से खाओ, जो हमने तुम्हें प्रदान की हैं।) [सूरा अल-बक़रा : 172] फिर अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने एक व्यक्ति का ज़िक्र किया, जो लंबी यात्रा में है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और शरीर धूल से अटा हुआ है। वह आकाश की

ओर अपने दोनों हाथों को फैलाकर कहता है : ऐ मेरे प्रभु, ऐ मेरे प्रभु, लेकिन उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका वस्त्र हराम और उसकी परवरिश हराम से हुई है। ऐसे में भला उसकी दुआ कैसी क़बूल हो सकती है? इस हदीस को इमाम मुस्लिम [सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 1015] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. यह, खाने-पीने तथा पहनने के मामले में हलाल-हराम का ख़याल रखने की ताकीद करने वाली एक महत्वपूर्ण हदीस है।
2. अल्लाह की हस्ती, उसके नाम, उसके गुण, उसके कार्य और उसके आदेश पवित्रता से परिपूर्ण हैं।
3. अल्लाह केवल पवित्र चीजों ही को ग्रहण करता है।
4. कर्म दो प्रकार के हैं, कुछ अल्लाह के यहाँ ग्रहणयोग्य हैं, तो कुछ ग्रहणयोग्य नहीं हैं।
5. हराम में संलिप्त होने से इनसान की दुआ क़बूल नहीं होती।
6. इस हदीस में चार बातें ऐसी बयान की गई हैं, जिनके कारण दुआ क़बूल होती है; लंबी यात्रा, ख़स्ता हालत, आकाश की और हाथ फैलाना और बार-बार अल्लाह की प्रभुता का ज़िक्र करके उससे आग्रह करना।

ग्यारहवीं हदीस

संदेह से बचने का आदेश

عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ سِبْطِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ وَرَيْحَانَتِهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ : **"دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيْبُكَ"**۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

अनुवाद

अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के नवासे हसन बिन अली बिन अबू तालिब (रज़ियल्लाहु अनहुमा) कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से यह बात याद की है : "संदेह में डालने वाली चीज़ों को छोड़कर संदेह में न डालने वाली चीज़ों को अपनाओ।" इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी [सुनन-ए-तिरमिज़ी हदीस संख्या : 2518] और इमाम नसाई [अल-मुजतबा : 8/337] ने रिवायत किया है और तिरमिज़ी ने इसे हसन सहीह कहा है।

संदेश

1. आदमी को चाहिए कि जिस चीज़ के हलाल अथवा हराम होने में संदेह हो, उसे छोड़कर वह चीज़ अपनाए, जिसमें संदेह न हो।
2. तमाम मामलों में यक़ीन पर अमल करना चाहिए और समझ-बूझ से काम लेना चाहिए।

3. जिन चीज़ों का हलाल अथवा हराम होना स्पष्ट न हो, उन्हें अपनाने से दिल में बेचैनी पैदा होती है, इसलिए हमेशा ऐसी चीज़ों को अपनाना चाहिए, जिनसे दिल संतुष्ट हो।

बारहवीं हदीस

निरर्थक कामों से बचने का निर्देश

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : **"مِنْ حُسْنِ إِسْلامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ"**. حَدِيْثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ هَكَذَا.

अनुवाद

अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अनहु) का वर्णन है, वह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : "आदमी के अच्छे मुसलमान होने की एक निशानी यह है कि वह निरर्थक कामों को छोड़ दे।" यह हदीस हसन दर्जे की है। इसे इमाम तिरमिज़ी [सुनन-ए-तिरमिज़ी : 2317] आदि ने इसी तरह रिवायत किया है।

संदेश

1. यह हदीस इनसान को सदाचार की ऊँचाई तक पहुँचने का एक सिद्धांत बताती है।
2. इनसान को चाहिए कि सभी अहितकारी चीज़ों से दूर रहे, इससे उसका समय भी नष्ट होने से बचेगा और दीन भी सुरक्षित रहेगा।
3. बेकार और निरर्थक चीज़ों से बचना इनसान के सच्चे मुसलमान होने की निशानी है।

तेरहवीं हदीस

इस्लामी बंधुत्व के तक़ाज़े

عَنْ أَبِيْ حَمْزَة أَنَسِ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ خَادِمِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : **"لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ"**۔ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

अनुवाद

अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सेवक अबू हमज़ा अनस बिन मालिक (रज़ियल्लाहु अनहु) का वर्णन है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : "तुममें से कोई उस समय तक मोमिन नहीं हो सकता, जब तक अपने भाई के लिए वही पसंद न करे, जो अपने लिए पसंद करता हो।" इस हदीस को इमाम बुख़ारी [सहीह बुख़ारी हदीस संख्या : 13] तथा इमाम मुस्लिम [सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 45] ने रिवायत किया है।

हदीस का संदेश

1. यह हदीस इस्लामी बंधुत्व और आत्मीयतापूर्ण संबंध के महत्व को स्पष्ट करती है।
2. इस्लामी भाईचारा का तक़ाज़ा यह है कि आदमी अपने भाई के लिए वही पसंद करे, जो अपने लिए पसंद करता है और इसका लाज़िमी नतीजा यह है कि अपने भाई के लिए वही नापसंद करे, जो अपने लिए नापसंद करता है।

3. कोई भी ऐसी बात अथवा कार्य करना हराम है, जो इस बंधुत्व के विरुद्ध हो।

चौदहवीं हदीस

नाहक़ रक्तपात से मनाही

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : **"لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاثٍ : الثَّيِّبُ الزَّانِيْ، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِيْنِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ"** رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

अनुवाद

अब्दुल्लाह बिन मसऊद (रज़ियल्लाहु अनहु) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : "किसी मुसलमान का रक्त तीन कारणों में से किसी एक के बिना हलाल नहीं होता; वह शादीशुदा व्यभिचारी हो, प्राण के बदले प्राण लिया जाए तथा यह कि वह अपना धर्म त्याग करके मुस्लिम समुदाय से अलग हो जाए।" इस हदीस को इमाम बुख़ारी [सहीह बुख़ारी हदीस संख्या : 6878] तथा इमाम मुस्लिम [सहीह मुस्लिम हहीस संख्या : 1676 तथा 25 एवं 26] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. यह, नाहक़ रक्तपात से रोकने वाली एक महत्वपूर्ण हदीस है, जिसमें कहा गया है कि किसी मुसलमान का ख़ून बहाना जायज़ होने के तीन ही कारण हो सकते हैं, या तो उसने शादीशुदा होने के बावजूद व्यभिचार किया हो या किसी की जान-बूझकर हत्या की हो

या फिर इसलाम धर्म त्यागकर मुस्लिम समुदाय से अपना संबंध तोड़ लिया हो।

2. हदीस में बताए गए तीनों काम हराम हैं और इनसे आदमी मृत्युदंड का हक़दार बन जाता है।
3. यह हदीस रक्त के साथ-साथ धर्म, इज़्ज़त-आबरू और नसब की रक्षा की ओर प्रेरित करती है।
4. यह हदीस जमात से जुड़े रहने के महत्व को भी दर्शाती है।

पंद्रहवीं हदीस

पड़ोसी एवं अतिथि का सम्मान

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : **"مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَو لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَومِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ"۔** رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

अनुवाद

अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अनहु) से वर्णित है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : "जो अल्लाह तथा अंतिम दिन पर ईमान रखता हो, वह अच्छी बात करे या ख़ामोश रहे, जो अल्लाह तथा अंतिम दिन पर ईमान रखता हो, वह अपने पड़ोसी को सम्मान दे और जो अल्लाह तथा अंतिम दिन पर ईमान रखता हो वह अपने अतिथि का आदर करे।" इस हदीस को इमाम बुख़ारी [सहीह बुख़ारी हदीस संख्या : 6018 तथा 6136] और इमाम मुस्लिम [सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 47] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. यह हदीस उत्तम आचरण और सदव्यवहार का पाठ पढ़ाती है।
2. अल्लाह तथा आख़िरत के दिन पर ईमान एक ऐसा स्रोत है, जहाँ से सारी भलाइयों की धाराएँ बहती हैं।

3. आदमी को चाहिए कि सोच-समझकर बोले तथा अच्छी बात करे, वरना ख़ामोश रहे।
4. पड़ोसी के अधिकारों का ख़ास ख़याल रखना चाहिए।
5. अतिथि के आदर में कोई कमी नहीं होने देना चाहिए।

सोलहवीं हदीस

क्रोध से बचने का आदेश

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ : أَوصِنِيْ، قَالَ : **"لَا تَغْضَبْ"**، **فَرَدَّدَ مِرَاراً، قَالَ : "لَا تَغْضَبْ".** رَوَاهُ **الْبُخَارِيُّ.**

अनुवाद

अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अनहु) का वर्णन है कि एक व्यक्ति ने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कहा: मुझे वसीयत कीजिए! तो आपने कहा : "ग़ुस्सा न करो!" उसने कई बार प्रश्न दोहराया और आपने हर बार कहा : "ग़ुस्सा न करो!" इल हदीस को इमाम बुख़ारी [सहीह बुख़ारी हदीस संख्या: 6116] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. इस हदीस में इनसान को उसकी एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत कमज़ोरी अर्थात क्रोध से मुक्ति पाने को कहा गया है; क्योंकि क्रोध सारी बुराइयों की जड़ है।
2. एक मुसलमान को चाहिए कि हमेशा अच्छे कामों के बारे में पूछता रहे और जानकारी प्राप्त करता रहे।
3. इनसान को उन तमाम बातों और कार्यों से बचना चाहिए, जो क्रोध का कारण बनते हों।

सत्रहवीं हदीस

हर काम अच्छे अंदाज़ में करने का आदेश

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ : **"إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيءٍ. فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا القِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَةَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِحْ ذَبِيْحَتَهُ"**۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

अनुवाद

अबू याला शद्दाद बिन औस (रज़ियल्लाहु अनहु) का वर्णन है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : "अल्लाह ने हर काम अच्छे अंदाज़ में करने का आदेश दिया है। अतः, जब क़त्ल करो, तो अच्छे अंदाज़ में क़त्ल करो और जब ज़बह करो, तो अच्छे अंदाज़ में ज़बह करो। तुम अपनी छुरी को तेज़ कर लो और अपने ज़बीहे को आराम पहुँचाओ।" इस हदीस को इमाम मुस्लिम [सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 1955] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. इस हदीस में यह बताया गया है कि इनसान को हर काम, चाहे वह इबादत हो या कोई सांसारिक कार्य, अच्छे अंदाज़ में करना चाहिए। फिर उसके दो उदाहरण भी दिए गए हैं।

2. किसी को क़त्ल किया जाए, तो उस समय भी इस नियम को ध्यान में रखा जाए।
3. जानवरों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाए और उन्हें ज़बह करते समय इस बात का प्रयास किया जाए कि कष्ट कम से कम हो।

अठारहवीं हदीस

सद्व्यवहार का आदेश

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ وَأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ : **"اتَّقِ اللهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ"**- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَفِيْ بَعْضِ النُّسَخِ : حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

अनुवाद

अबूज़र जुनदुब बिन जुनादा और अबू अब्दुर्रहान मुआज़ बिन जबल (रज़ियल्लाहु अनहुमा) का वर्णन है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : "जहाँ भी रहो, अल्लाह से डरो तथा गुनाह के बाद नेकी कर लिया करो, जो उसे मिटा देगी और लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करो।" इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी [सुनन-ए-तिरमिज़ी हदीस संख्या : 1987] ने रिवायत किया है और हसन कहा है, जबकि तिरमिज़ी की कुछ प्रतियों में हसन सहीह भी है।

संदेश

1. इस हदीस में तीन आदेश दिए गए हैं, पहला यह कि दिल में अल्लाह का भय रखा जाए, ताकि गुनाह कम से कम हों, दूसरा यह कि यदि इनसान होने के नाते गुनाह हो जाए, तो उसके बाद कोई नेकी का काम कर लिया जाए, ताकि यह नेकी उस गुनाह को

मिटाने का सबब बन जाए और तीसरा यह कि जब पहली दोनों बातों पर अमल करने के बाद बंदे का रिश्ता अल्लाह से मज़बूत हो जाए, तो बंदों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, ताकि अल्लाह और उसके बंदे, दोनों के हक़ अदा होते रहें।

2. गुनाह के बाद नेकी करने से गुनाह की माफ़ी हो जाती है।

उन्नीसवीं हदीस

तक़दीर पर ईमान

عَنْ أَبِي العَبَّاسِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : كُنْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوماً فَقَالَ لِيْ : "يَا غُلاَمُ إِنِّيْ أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ : احْفَظِ اللهَ يَحفَظْكَ، احْفَظِ اللهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِن بِاللهِ، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ لَكَ، وَإِنِ اجْتَمَعُوْا عَلَى أَنْ يَضُرُّوْكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللهُ عَلَيْكَ، رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ، وَجَفَّتِ الصُّحُفُ"۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

وَفِيْ رِوَايَةٍ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ : **"اِحفَظِ اللهَ تَجِدْهُ أَمَامَكَ، تَعَرَّفْ إِلَى اللهِ فِيْ الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِيْ الشِّدَّةِ، وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ العُسْرِ يُسْراً"۔**

अनुवाद

अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अनहुमा) कहते है : मैं एक दिन अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पीछे सवार था कि इसी बीच आपने कहा : “ऐ बच्चे, मैं तुम्हें कुछ बातें सिखाना चाहता हूँ। अल्लाह (के आदेशों और निषेधों) की रक्षा करो, अल्लाह तुम्हारी रक्षा करेगा। अल्लाह (के आदेशों और निषेधों) की रक्षा करो, तुम उसे अपने सामने पाओगे। जब माँगो, तो अल्लाह से माँगो और जब मदद चाहो, तो अल्लाह से मदद चाहो। तथा जान लो, यदि पूरी उम्मत तुम्हें कुछ लाभ प्रदान करने के लिए एकत्र हो जाए, तो तुम्हें उससे अधिक लाभ नहीं पहुँचा सकती, जितना अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है। तथा यदि सब लोग तुम्हारी कुछ हानि करने के लिए एकत्र हो जाएँ, तो तुम्हारी

उससे अधिक हानि नहीं कर सकते, जितनी अल्लाह ने तुम्हारे भाग्य में लिख दी है। क़लम उठा ली गई है और पुस्तकें सूख चुकी हैं।" इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी [सुनन-ए-तिरमिज़ी हदीस संख्या : 2516] ने रिवायत किया है और हसन सहीह कहा है।

तथा तिरमिज़ी के अलावा अन्य किताबों (देखिए अब्द बिन हुमैद की पुस्तक अल-मुनतख़ब हदीस संख्या : 635) की एक रिवायत में है : "अल्लाह (के आदेशों और निषेधों) की रक्षा करो, अल्लाह को अपने सामने पाओगे। खुशहाली के समय अल्लाह को पहचानो, परेशानी के समय वह तुम्हें पहचानेगा। जान लो, जो तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ, वह तुम्हें मिलने वाला नहीं था और जो मिल गया वह तुम्हारे हाथ से जाने वाला नहीं था। जान लो, मदद सब्र के साथ है, कुशादगी तकलीफ़ के साथ है और तंगी के साथ आसानी है।"

संदेश

1. यह हदीस अल्लाह पर पूर्ण विश्वास तथा उसके आदेशों एवं निषेधों के अनुपालन के महत्व को दर्शाती है।
2. बच्चों की बरबियत का ख़ास ख़याल रखना चाहिए और सदा इस बात का प्रयास करना चाहिए कि उनके दिल में इस्लाम की मूल बातें अच्छी तरह बैठ जाएँ।
3. जो अल्लाह के आदेशों का पालन करेगा, अल्लाह दुनिया तथा आख़िरत में उसकी रक्षा करेगा।

4. कुछ भी माँगना हो, केवल अल्लाह से माँगना चाहिए।
5. जो अल्लाह के आदेशों का पालन करेगा, उसे अल्लाह मुसीबतों से बचाएगा।
6. तक़दीर तथा उसके फ़ैसलों पर ईमान रखना और उनसे संतुष्ट रहना ज़रूरी है।
7. हर दुःख के बाद सुख और हर मुश्किल के बाद आसानी है।
8. इनसान को वही कुछ मिलता है, जो अल्लाह ने उसके लिए लिख दिया है।

बीसवीं हदीस

हया का महत्व

عَنْ أَبِيْ مَسْعُوْدٍ عُقبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : **"إِنَّ مِمَّا أَدرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَستَحْيِ فاصْنَعْ مَا شِئتَ"**۔ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

अनुवाद

अबू मसऊद अंसारी बदरी (रज़ियल्लाहु अनहु) कहते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : "लोगों को पहले नबियों की जो बातें प्राप्त हुई हैं, उनमें से एक यह है : "जब तुम्हें हया न आए, तो जो जी में आए, करो।" इस हदीस को इमाम बुख़ारी [सहीह बुख़ारी हदीस संख्या : 3483 तथा 3484] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. इस हदीस से पता चलता है कि हया हर शरीफ़ और सभ्य व्यक्ति का एक ऐसा अलंकार है, जिसके महत्व को पिछली तमाम शरीयतों में रेखांकित किया गया है; क्योंकि हया इनसान को ऐसे कार्यों से रोकती है, जो उसके लायक़ नहीं हैं और इनसान होने के नाते उसे उनसे बचना चाहिए और ऐसे कार्यों की ओर प्रेरित करती है, जो

मानव समाज को एक सभ्य एवं आदर्श समाज के रूप में परिवर्तित करने का काम करते हैं।

इक्कीसवीं हदीस

इस्लाम पर दृढ़ता से जमे रहने का आदेश

عَنْ أَبِيْ عَمْرٍو، وَقِيْلَ،أَبِيْ عَمْرَةَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِـيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ قُلْ لِيْ فِيْ الْإِسْلاَمِ قَوْلاً لاَ أَسْأَلُ عَنْهُ أَحَداً غَيْرَكَ؟ قَالَ : "قُلْ آمَنْتُ بِاللهِ ثُمَّ استَقِمْ"- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

अनुवाद

अबू अम्र तथा कुछ लोगों के अनुसार अबू अमरा सुफ़यान बिन अब्दुल्लाह (रज़ियल्लाहु अनहु) कहते हैं कि मैंने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे इस्लाम से संबंधित कोई ऐसी बात बताइए कि उसके बारे में आपके सिवा किसी से न पूछूँ! आपने कहा : “कहो कि मैं अल्लाह पर ईमान लाया और फिर उसी पर जम जाओ।” इस हदीस को इमाम मुस्लिम [सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 38] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. इस हदीस में ईमान लाने के बाद उसपर मज़बूती से जमे रहने और उसके तक़ाज़ों को पूरा करने का आदेश दिया गया है।
2. सहाबा इस्लाम को जानने तथा समझने के लिए प्रयासरत रहा करते थे। यही कारण है कि वह आपसे कुछ न कुछ पूछते रहते थे।

3. अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास जब कोई कुछ पूछने आता, तो आप उसके व्यक्तित्व और स्वभाव को ध्यान में रखकर जवाब देते थे।

बाईसवीं हदीस

जन्नत का रास्ता

عَنْ أَبِيْ عَبْدِ اللهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : **أَرَأَيْتَ إِذَا صَلَّيْتُ الْمَكْتُوبَاتِ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، وَأَحلَلْتُ الْحَلاَلَ، وَحَرَّمْتُ الْحَرَامَ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى ذَلِكَ شَيْئاً أَدْخُلُ الْجَنَّةَ ؟ قَالَ : "نَعَمْ"** رَوَاهُ مُسْلِمٌ

अनुवाद

अबू अब्दुल्लाह जाबिर बिन अब्दुल्लाह अंसारी (रज़ियल्लाहु अनहुमा) से रिवायत है, वह कहते हैं कि एक व्यक्ति ने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से पूछा : आपका क्या ख़याल है कि अगर मैं फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ूँ, रमज़ान के रोज़े रखूँ और हलाल को हलाल जानूँ तथा हराम से बचूँ और इससे अधिक कुछ न करूँ, तो क्या मैं जन्नत में प्रवेश कर सकूँगा? आपने कहा : "हाँ!" इस हदीस को इमाम मुस्लिम [सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 15] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. इस हदीस में कुछ ऐसे कार्यों का उल्लेख है, जो जन्नत में दाख़िल होने का सबब हैं।
2. इस हदीस में ज़कात और हज का उल्लेख नहीं है। इसका एक कारण तो यह हो सकता है कि पूछने वाले ने जिस समय पूछा

था, उस समय इस्लाम के यह दो स्तंभ फ़र्ज़ नहीं हुए थे और दूसरा कारण यह हो सकता है कि चूँकि पूछने वाला एक निर्धन व्यक्ति था, इसलिए आपने इन दो स्तंभों को जोड़ने की ज़रूरत महसूस नहीं की।

3. इस हदीस से भी यह अंदाज़ा होता है कि सहाबा यह जानने के लिए आतुर रहते थे कि वह कौन-से कार्य हैं, जो उनके लिए दुनिया तथा आख़िरत में लाभदायक हैं, ताकि उनपर अमल करके अपनी दुनिया व आख़िरत को सँवार सकें।

तेईसवीं हदीस

नेकी के कुछ महत्वपूर्ण कार्य

عَنْ أَبِيْ مَالِكٍ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ :
"الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ، والْحَمْدُ لِلهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلهِ تَمْلَآنِ - أَوْ تَمْلَأُ - مَا بَيْنَ السَّمَاءِ والْأَرْضِ، وَالصَّلاةُ نُوْرٌ، والصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَو عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا"۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

अनुवाद

अबू मालिक हारिस बिन आमिर अशअरी (रज़ियल्लाहु अनहु) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : "तहारत आधा ईमान है। 'अल-हमदु लिल्लाह' तराज़ू को भर देगा। 'सुबहान अल्लाह' और 'अल-हमदु लिल्लाह' आकाश और धरती के बीच के ख़ाली स्थानों को भर देंगे। नमाज़ प्रकाश है। सदक़ा प्रमाण है। क़ुरआन तेरे हक़ में अथवा तेरे विरुद्ध हुज्जत है। प्रत्येक व्यक्ति जब सुबह को निकलता है, तो अपने नफ़्स का सौदा करता है। चुनांचे या तो उसे आज़ाद करता है या उसे हलाक करता है।" इस हदीस को इमाम मुस्लिम [सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 223] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. इस हदीस में कुछ नेकी के कामों की ख़ास विशेषताएँ बयान की गई हैं।
2. तहारत (स्वच्छता एवं पाक-साफ़ रहने) को आधा ईमान बताकर उसके महत्व को स्पष्ट किया गया है।
3. अल-हमदु लिल्लाह और सुबहान अल्लाह, इन दोनों अज़कार के महत्व को बयान किया गया है।
4. नमाज़ को प्रकाश बताया गया है कि वह इनसान को भलाई तथा बुराई और सही एवं ग़लत की पहलचान प्रदान करती है।
5. सदक़ा इस बात का प्रमाण है कि आदमी का ईमान खाँटी है, वरना वह अपना कमाया हुआ धन किसी को न देता।
6. सब्र अर्थात अल्लाह के आज्ञापालन पर जमे रहने, उसकी अवज्ञा से दूर रहने और मुसीबत के समय धैर्य से काम लेने को रोशनी कहा गया है, क्योंकि सब्र इनसान का सही मार्गदर्शन करता है।
7. कुरआन पर यदि अमल किया जाए, तो वह आदमी के हक़ में प्रमाण है और यदि उससे बेरुख़ी बरती जाए, तो उसके विरुद्ध हुज्जत है।
8. इनसान जब सुबह को निकलता है और अच्छे कार्य करता है, तो अपने नफ़्स को अल्लाह के क्रोध और उसकी यातना से मुक्त कर लेता है और जब बुरे कार्य करता है, तो ख़ुद को हलाकत में डाल लेता है।

चौबीसवीं हदीस

लोगों पर अल्लाह के कुछ उपाकर

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنَّهُ قَالَ : **يَا عِبَادِيْ إِنِّيْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى نَفْسِيْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمَاً فَلا تَظَالَمُوْا، يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُوْنِي أَهْدِكُمْ، يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلاَّ مَنْ أَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِي أُطْعِمْكُمْ، يَا عِبَادِيْ كُلُّكُمْ عَارٍ إِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِيْ أَكْسُكُمْ، يَا عِبَادِيْ إِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَأَنَا أَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعَاً فَاسْتَغْفِرُوْنِيْ أَغْفِرْ لَكُمْ، يَا عِبَادِيْ إِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوْا ضُرِّيْ فَتَضُرُّوْنِيْ وَلَنْ تَبْلُغُوْا نَفْعِيْ فَتَنْفَعُوْنِيْ، يَا عِبَادِيْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلَى أَتْقَى قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زَادَ ذَلِكَ فِيْ مُلْكِيْ شَيْئًا. يَا عِبَادِيْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلَى أَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِنْ مُلْكِيْ شَيْئًا، يَا عِبَادِيْ لَوْ أَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوْا فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُوْنِيْ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ وَاحِدٍ مَسْأَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذَلِكَ مِمَّا عِنْدِيْ إِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ إِذَا أُدْخِلَ الْبَحْرَ، يَا عِبَادِيْ إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ أُوَفِّيْكُمْ إِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرَاً فَلْيَحْمَدِ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ"**. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

अनुवाद

अबूज़र ग़िफ़ारी (रज़ियल्लाहु अनहु) का वर्ण है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) अपने रब से रिवायत करते हैं कि उसने कहा : "ऐ मेरे बंदो, मैंने अत्याचार को अपने ऊपर हराम कर लिया है, अतः तुम एक-दूसरे पर अत्याचार न करो। ऐ मेरे बंदो, तुम सब लोग पथभ्रष्ट हो, सिवाय उसके जिसे में मार्ग दिखा दूँ, अतः मुझसे मार्गदर्शन तलब करो, मैं तुम्हें राह दिखाऊँगा। ऐ मेरे बंदो,

तुम सब लोग भूखे हो, सिवाय उसके जिसे मैं खाना खिलाऊँ, अतः मुझसे भोजन माँगो, मैं तुम्हें खाने को दूँगा। ऐ मेरे बंदो, तुम सब लोग नंगे हो, सिवाय उसके जिसे मैं कपड़ा पहनाऊँ, अतः मुझसे पहनने को कपड़े माँगो, मैं तुम्हें पहनाऊँगा। ऐ मेरे बंदो, तुम रात-दिन त्रुटियाँ करते हो और मैं तमाम गुनाहों को माफ़ करता हूँ, अतः मुझसे क्षमा माँगो, मैं तुम्हें क्षमा करूँगा। ऐ मेरे बंदो, तुम मुझे नुक़सान पहुँचाने के पात्र नहीं हो सकते कि मुझे नुक़सान पहुँचाओ और मुझे नफ़ा पहुँचाने के पात्र भी नहीं हो सकते कि मुझे नफ़ा पहुँचाओ। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले और बाद के लोग तथा इनसान और जिन्न तुम्हारे अंदर मौजूद सबसे आज्ञाकारी इनसान के दिल में जमा हो जाएँ, तो इससे मेरी बादशाहत में तनिक भी वृद्धि नहीं होगी। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले और बाद के लोग तथा तुम्हारे इनसान और जिन्न तुम्हारे अंदर मौजूद सबसे पापी इनसान के दिल में जमा हो जाएँ, तो इससे मेरी बादशाहत में कोई कमी नहीं आएगी। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम्हारे पहले और बाद के लोग तथा इनसान और जिन्न एक ही मैदान में खड़े होकर मुझसे माँगें और मैं हर एक को उसकी माँगी हुई वस्तु दे दूँ, तो इससे मेरे ख़ज़ाने में उससे अधिक कमी नहीं होगी, जितना समुद्र में सूई डालकर निकालने से होती है। ऐ मेरे बंदो, यह तुम्हारे कर्म ही हैं, जिन्हें मैं गिनकर रखता हूँ और फिर तुम्हें उनका बदला देता हूँ। अतः, जो अच्छा पाए, वह अल्लाह की प्रशंसा करे और जो कुछ और पाए, वह केवल अपने आपको कोसे।" इस हदीस को इमाम मुस्लिम [सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 2577] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. इस हदीस को नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अल्लाह तआला से रिवायत किया है। इस तरह की हदीस को हदीस-ए-क़ुदसी कहते हैं।
2. इस हदीस में अत्याचार के हराम होने को स्पष्ट किया गया है, एकेश्वरवाद को बहुत ही प्यारे अंदाज़ में समझाया गया है और अल्लाह तआला के न्याय पर आधारित प्रतिफल को बयान किया गया है।
3. अल्लाह के संपूर्ण न्याय का तक़ाज़ा यह है कि उसने अपने ऊपर अत्याचार को हराम कर रखा है और बंदों के लिए भी उसे हराम घोषित किया है।
4. इनसान की सारी ज़रूरतें अल्लाह ही पूरी करता है।
5. हिदायत (मार्गदर्शन) अल्लाह ही से माँगनी चाहिए।
6. इबादत कोई भी हो, केवल अल्लाह के लिए होनी चाहिए।
7. नफ़ा-नुक़सान केवल अल्लाह के हाथ में है। सारी मख़लूक़ मिलकर भी न उसका कुछ बना सकती है और न बिगाड़ सकती है।
8. बंदों की इबादत से अल्लाह के राज्य तथा प्रभुत्व में कोई इज़ाफ़ा नहीं होता। इसी तरह उनकी अवज्ञा से अल्लाह की शान में कोई कमी नहीं आती।

9. हर अच्छे कार्य का सामर्थ्य अल्लाह ही प्रदान करता है तथा वह अपने अनुग्रह से उसका प्रतिफल भी प्रदान करता है, इसलिए सारी प्रशंसा अल्लाह की है।

पच्चीसवीं हदीस

सदक़ा का व्यापक अर्थ

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَّ أُنَاساً مِنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالُوْا لِلنَّبِيِّ ﷺ : يَارَسُولَ اللهِ! ذَهَبَ أَهلُ الدُّثُوْرِ بِالْأُجُوْرِ، يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّيْ، وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ، وَيَتَصَدَّقُوْنَ بِفُضُوْلِ أَمْوَالِهِمْ، قَالَ : **"أَوَ لَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللهُ لَكُمْ مَا تَصَّدَّقُوْنَ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً، وَكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةً، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ، وَنَهْيٌ عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةٌ، وَفِيْ بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ". قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيَأْتِيْ أَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا أَجْرٌ؟ قَالَ : "أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فَيْ حَرَامٍ أَ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فَي الْحَلالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ"**- رَوَاهُ مُسْلِمٌ

अनुवाद

अबूज़र (रज़ियल्लाहु अनहु) ही से वर्णित है, वह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के कुछ साथियों ने नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से कहा : ऐ अल्लाह के रसूल, धन-दौलत वाले सब नेकियाँ ले गए; वे हमारी तरह नमाज़ भी पढ़ते हैं, हमारी तरह रोज़ा भी रखते हैं तथा अपने अतिरिक्त धन को दान भी करते हैं। आपने फ़रमाया : "क्या अल्लाह ने तुम्हें सदक़ा करने को कुछ नहीं दिया है? प्रत्येक बार 'सुबहान अल्लाह' कहना सदक़ा है, प्रत्येक बार 'अल्लाहु अकबर' कहना सदक़ा है, प्रत्येक बार 'अल-हमदुलिल्लाह' कहना सदक़ा है, प्रत्येक बार 'ला इलाहा इल्लल्लाह' कहना सदक़ा है, भली बात का आदेश देना सदक़ा है, बुरी बात से रोकना सदक़ा है तथा

तुममें से किसी का अपनी पत्नी से मिलना भी सदक़ा है।" सहाबा ने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल, क्या हममें से कोई अपनी मानवीय आवश्यकता को पूरा करे, तो भी उसे नेकी मिलेगी? फ़रमाया : "ज़रा यह बताओ कि यदि वह उसे हराम तरीके से पूरा करे, तो क्या उसे गुनाह होगा? ऐसे ही, अगर हलाल तरीके से पूरा करता है, तो नेकी मिलेगी।" इस हदीस को इमाम मुस्लिम [सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 720 तथा 1006] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. इस हदीस में सदक़ा का एक व्यापक अर्थ बताया गया है तथा यह स्पष्ट किया गया है कि नेकी के काम सिर्फ़ वही नहीं हैं, जिन्हें हम इबादत कहते हैं, बल्कि इसके अंतर्गत सारे भलाई के कार्य आ जाते हैं।
2. इस हदीस से भी मालूम होता है कि सहाबा नेकी के कामों में एक-दूसरे से आगे बढ़ने के प्रयास में रहते थे।
3. सदक़ा केवल धन ही का नहीं होता, बल्कि इसकी और भी सूरतें हैं।
4. सुबहान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल-हमदु लिल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह कहने तथा रास्ते से किसी कष्टदायक वस्तु को हटाने का महत्व।

5. जायज़ कामों को करते समय अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने की नीयत करने का महत्व तथा यह कि इससे यह सारे कार्य नेकी के काम बन जाते हैं।

छब्बीसवीं हदीस

इनसान के हर जोड़ की ओर से सदक़ा

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : **"كُلُّ سُلامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَومٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ : تَعْدِلُ بَيْنَ اثْنَيْنِ صَدَقَةٌ، وَتُعِيْنُ الرَّجُلَ في دَابَّتِهِ فَتَحْمِلُ لَهُ عَلَيْهَا أَو تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيْهَا إِلَى الصَّلاةِ صَدَقَةٌ، وَتُمِيْطُ الْأَذى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ"**۔ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

अनुवाद

अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अनहु) का वर्णन है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : "आदमी के हर जोड़ पर, हर रोज़ जिसमें सूरज निकलता है, सदक़ा है; तुम दो व्यक्तियों के बीच न्याय करो सदक़ा है, किसी को उसके जानवर पर सवार होने में मदद करो या उसपर उसका सामान लाद दो सदक़ा है, अच्छी बात सदक़ा है, नमाज़ के लिए जाते समय उठने वाला हर क़दम सदक़ा है और रास्ते से कष्टदायक वस्तु को हटाना सदक़ा है।" इस हदीस को इमाम बुख़ारी [सहीह बुख़ारी हदीस संख्या : 2707 तथा 2891] तथा इमाम मुस्लिम [सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 1009] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. इस हदीस से पता चलता है कि हर वह काम, जो किसी की सहायता के लिए किया जाए, नेकी का काम है।
2. सैकड़ों हड्डियों को जोड़कर एक संतुलित आदमी बनाना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, इसलिए इनसान को चाहिए कि इस नेमत के शुक्र के तौर पर प्रत्येक दिन हड्डियों के हर जोड़ के बदले में एक-एक सदक़ा करे।
3. सदक़ा केवल धन ही का नहीं होता, बल्कि इसके और भी बहुत-से रूप हैं, जिनका उल्लेख इस हदीस में है।
4. लोगों के बीच न्यायपूर्ण तरीक़े से निर्णय करने, किसी को उसकी सावरी में चढ़ने या सामान लादने में सहायता करने, अच्छी बात करने, मस्जिद जाकर जमात से नमाज़ पढ़ने और रास्ते से कष्टदायक वस्तु को हटाने का महत्व।
5. जिस तरह माल की ज़कात देनी होती है, उसी तरह शरीर का भी सदक़ा निकालना अनिवार्य है।

सत्ताईसवीं हदीस

नेकी और गुनाह

عَنِ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : **"الْبِرُّ حُسْنُ الْخُلُقِ ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ"**. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، قَالَ : أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ : **"جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الْإِثْمِ؟"** قُلْتُ : نَعَمْ ؛ قَالَ : **"اِسْتَفْتِ قَلْبَكَ ؛ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِيْ النَّفْسِ وَتَرَدَّدَ فِيْ الصَّدْرِ ، وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ وَأَفْتَوْكَ"**. **حَدِيْثٌ حَسَنٌ رويْنَاهُ فِيْ مُسْنَدَي الْإِمَامَيْنِ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَ الدَّارِمِيِّ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.**

अनुवाद

नव्वास बिन समआन (रज़ियल्लाहु अनहु) का वर्णन है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : "नेकी, उत्तम व्यवहार है और गुनाह वह है, जो तेरे दिल में खटके और तुझे यह अच्छा न लगे कि लोग उसे जान लें।" इस हदीस को इमाम मुस्लिम [सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 2553] ने रिवायत किया है।

तथा वाबिसा बिन माबद (रज़ियल्लाहु अनहु) कहते हैं कि मैं अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास आया, तो आपने पूछा : "क्या तुम नेकी के बारे में पूछने आए हो?" मैंने कहा : जी हाँ! तो फ़रमाया : "खुद अपने दिल से फ़तवा माँगो। नेकी वह है, जिससे आत्मा संतुष्ट और दिल मुतमइन हो तथा गुनाह वह है, जो दिल में खटके और सीने में असमंजस की स्थिति पैदा

करे। यद्यपि लोग तुझे फ़तवा दें, यद्यपि लोग तुझे फ़तवा दें।" इस हदीस को इमाम अहमद [मुसनद-ए-अहमद : 4/228] और दारिमी [हदीस संख्या : 2533] ने अपनी-अपनी मुसनदों में हसन सनद से रिवायत किया है।

संदेश

1. यह हदीस 'नेकी' और 'गुनाह' की एक व्यापक व्याख्या प्रस्तुत करती है।
2. अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने 'नेकी' की व्याख्या सदाचार से की है, जिससे सदाचार का महत्व स्पष्ट है।
3. मोमिन के दिल का दर्पण जब स्वच्छ और साफ़-सुथरा हो, तो उसमें नेकी और गुनाह का अंतर साफ़ झलकने लगता है; वह नेकी से संतुष्ट हो जाता है और गुनाह के मामले में आगे-पीछे करने लगता है।
4. मोमिन इस बात को पसंद नहीं करता कि कोई उसकी कमियों को जाने।
5. यदि फ़तवा माँगने वाले का दिल स्वच्छ हो, तो मुफ़ती का फ़तवा उसके संदेह का निवारण नहीं कर सकता। लेकिन यह उस समय है, जब मुफ़ती ने बिना किसी शरई दलील के फ़तवा दिया हो। परन्तु, यदि किसी शरई दलील के आधार पर फ़तवा दिया हो, तो उसे मानना ज़रूरी होगा, यद्यपि दिल संतुष्ट न हो।

अट्ठाईसवीं हदीस

शासकों का आज्ञापालन और सुन्नत का अनुसरण

عَنْ أَبِيْ نَجِيحٍ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : وَعَظَنَا رَسُولُ اللهِ مَوْعِظَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا الْعُيونُ. فَقُلْنَا: يَارَسُوْلَ اللهِ كَأَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَأَوْصِنَا، قَالَ : **"أُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلافاً كَثِيراً؛ فَعَلَيكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُوْرِ فَإِنَّ كَلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ"**۔ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

अनुवाद

अबू नजीह इरबाज़ बिन सारिया (रज़ियल्लाहु अनहु) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने हमें ऐसा दिल में उतरने वाला उपदेश दिया कि लोगों के दिल घबरा उठे और आँखें बह पड़ीं। हमने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल, ऐसा प्रतीत होता है कि यह अंतिम उपदेश है। अतः, हमें वसीयत फ़रमाएँ! आपने कहा : "मैं तुम्हें सर्वशक्तिमान अल्लाह से डरने तथा अपने शासक की बात सुनने और मानने की वसीयत करता हूँ, चाहे तुम्हारा शासक एक दास ही क्यों न हो। क्योंकि तुममें से जो जीवित रहेगा, वह बहुत सारा मतभेद और टकराव देखेगा। उस समय तुम मेरी सुन्नत और सत्य के मार्ग पर चलने वाले ख़लीफ़ों की सुन्नत को सीने से लगाए रहना और मज़बूती से

थामे रहना। तथा धर्म के नाम पर प्रचलन में आने वाली नई-नई चीज़ों (बिदअतों) से बचते रहना, क्योंकि हर बिदअत गुमराही है।" इस हदीस को इमाम अबू दाऊद [सुनन-ए-अबू दाऊद हदीस संख्या : 4607] तथा इमाम तिरमिज़ी [सुनन-ए-तिरमिज़ी हदीस संख्या : 2676] ने रिवायत किया है तथा तिरमिज़ी ने हसन सहीह कहा है।

संदेश

1. अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैह व सल्लम) का उपदेश ऐसा दिल को छू लेने वाला होता कि दिल पसीज जाते और आँखें बह पड़ती थीं।
2. नबी (सल्लल्लाहु अलैह व सल्लम) की सुन्नत को सीने से लगाए रखने की आवश्यकता, विशेष रूप से उस समय, जब मतभेद सामने आ जाए अथवा टकराव की स्थिति पैदा होने लगे।
3. एक मुसलमान को चाहिए कि वह इस्लाम के नाम पर प्रचलन में आने वाली नई-नई चीज़ों से दामन बचाए रखे।
4. हर वह नई चीज़, जो इस्लाम के नाम पर प्रचलन में आए, वह बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है।
5. इस हदीस में अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के सच्चे नबी होने की एक निशानी भी मौजूद है, क्योंक आपने जिस मतभेद और टकराव की बात कही थी, बहुत-से सहाबा ने उसे अपनी आँखों से देख भी लिया।

उनतीसवीं हदीस

भलाई के द्वार

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَخْبِرْنِيْ بِعَمَلٍ يُدخِلُنِي الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِيْ مِنَ النَّارِ۔ قَالَ : **"لَقَدْ سَأَلْتَ عَنْ عَظِيْمٍ وَإِنَّهُ لَيَسِيْرٌ عَلَى مَنْ يَسَّرَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ : تَعْبُدُ اللهَ لاَتُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيْمُ الصَّلَاةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُوْمُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ." ثُمَّ قَالَ : "أَلاَ أَدُلُّكَ عَلَى أَبْوَابِ الْخَيْرِ: الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيْئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، وَصَلاةُ الرَّجُلِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ"۔ ثُمَّ تَلَا : {تَتَجَافَى جُنُوْبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ }**حَتَّى بَلَغَ : **{يَعْلَمُوْنَ}** ثُمَّ قَالَ : "أَلَا أُخْبِرُكَ بِرَأْسِ الْأَمْرِ وَعَمُوْدِهِ وَذِرْوَةِ سَنَامِهِ؟" قُلْتُ: بَلَى يَارَسُوْلَ اللهِ، قَالَ : "رَأْسُ الْأَمْرِ الْإِسْلامُ وَعَمُوْدُهُ الصَّلَاةُ وَذِرْوَةُ سَنَامِهِ الْجِهَادُ"۔ ثُمَّ قَالَ : "أَلَا أُخْبِرُكَ بِمَلَاكِ ذَلِكَ كُلِّهِ ؟" قُلْتُ : بَلَى يَارَسُوْلَ اللهِ. فَأَخَذَ بِلِسَانِهِ وَقَالَ : "كُفَّ عَلَيْكَ هَذَا". قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ وَإِنَّا لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ ؟ فَقَالَ : "ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَامُعَاذُ. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ -أَوْ قَالَ : عَلَى مَنَاخِرِهِمْ- إِلاَّ حَصَائِدُ أَلسِنَتِهِمْ"۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

अनुवाद

मुआज़ बिन जबल (रज़ियल्लाहु अनहु) कहते हैं कि मैंने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसा कार्य बताइए, जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से दूर कर दे। तो आपने कहा : "तुमने एक बहुत बड़ी चीज़ के बारे में पूछा है, परन्तु जिसके लिए अल्लाह तआला आसान कर दे, उसके लिए यह निश्चय ही आसान है : तुम अल्लाह की इबादत करो, किसी को उसका साझी न बनाओ, नमाज़ क़ायम करो, ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े रखो और अल्लाह के

घर काबा का हज करो।" फिर फ़रमाया : "क्या मैं तुम्हें भलाई के द्वार न बता हूँ? रोज़ा ढाल है, सदक़ा गुनाह की आग को बुझा देता है, जैसे पानी आग को बुझा देता है तथा आदमी का रात के अंधेरे में नमाज़ पढ़ना।" फिर यह आयत पढ़ी : "تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" (अर्थात, उनके पहलू बिस्तरों से अलग रहते हैं। वह अपने रब को भय एवं लालच के साथ पुकारते हैं और हमारी दी हुई चीज़ों में से खर्च करते रहते हैं। कोई प्राणी नहीं जानता कि हमने उनके लिए क्या कुछ आँखों की ठंडक छिपा रखी है, उनके उन कर्मों के प्रतिफल के तौर पर, जो वे किया करते थे।) फिर फ़रमाया : "क्या मैं तुम्हें इस मामले का सिरा, उसका स्तंभ और उसकी सबसे ऊँटी चोटी न बता दूँ?" मैंने कहा : अवश्य, ऐ अल्लाह के रसूल! तो फ़रमाया : "इस मामले का सिरा इसलाम है, उसका स्तंभ नमाज़ है और उसकी सबसे ऊँची चोटी जिहाद है।" फिर फ़रमाया : "क्या मैं तुम्हें इन तमाम वस्तुओं का सार न बता दूँ?" मैंने कहा : अवश्य, ऐ अल्लाह के रसूल! तो आपने अपनी ज़बान को पकड़कर कहाः "इसे संभालकर रखो।" मैंने कहा : ऐ अल्लाह के नबी, क्या हम जो कुछ बोलते हैं, उसपर भी हमारी पकड़ होगी? तो फ़रमाया : "तुम्हारी माँ तुम्हें गुम पाए, भला लोगों को जहन्नम की आग में उनके चेहरों के बल (या कहा कि उनके नथनों के बल) ज़बान की तेज़ी के सिवा और कौन-सी चीज़ डालेगी?" इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी [सुनन-ए-तिरमिज़ी हदीस संख्या : 2616] ने रिवायत किया है और हसन सहीह कहा है।

संदेश

1. यह हदीस भी इस बात का प्रमाण है कि सहाबा ऐसी बातों को जानने के लिए आतुर रहते थे, जो उनकी दुनिया एवं आख़िरत को सँवार दें और वे जन्नत के हक़दार बन जाएँ।
2. इस हदीस से पता चलता है कि जन्नत और जहन्नम सत्य हैं। वैसे भी इनपर ईमान लाना ईमान के छह मूल तत्वों में से एक है।
3. इनसान का अमल उसे जन्नत या जहन्नम का हक़दार बनाता है।
4. इनसान को तौफ़ीक़ अल्लाह ही देता है। वह जिसके लिए सत्य के मार्ग पर चलना आसाना करता है, वह सत्य के मार्ग पर चलता है और जिसके लिए सत्य के मार्ग पर चलना आसान नहीं करता, वह भटकता फिरता है।
5. जन्नत में दाख़िल होने के लिए इसलाम के पाँच स्तंभों को क़ायम रखना ज़रूरी है।

तीसवीं हदीस

अल्लाह की सीमाओं का आदर

عَنْ أَبِيْ ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ جُرْثُوْمِ بْنِ نَاشِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ قَالَ : **"إِنَّ اللهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوْهَا، وَحَدَّ حُدُوْداً فَلا تَعْتَدُوْهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلا تَنْتَهِكُوْهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوْا عَنْهَا"**. حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيْ وَغَيْرُهُ.

अनुवाद

अबू सालबा जुरसूम बिन नाशिर ख़ुशनी (रज़ियल्लाहु अनहु) का वर्णन है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : "अल्लाह तआला ने कुछ चीज़ें फ़र्ज़ की हैं; उन्हें नष्ट न करो, कुछ सीमाएँ निर्धारित की हैं; उन्हें पार न करो, कुछ चीज़ें हराम की हैं; उनके निकट न जाओ और कुछ चीज़ों से जान-बूझकर, तुम्हारे ऊपर दयास्वरूप खामोशी बरती है; उनके पीछे न पड़ो।" यह हदीस हसन दर्जे की है। इमाम दारक़ुतनी [सुनन-ए-दारक़ुतनी : 4/184] आदि ने इसे रिवायत किया है।

संदेश

1. एक मुसलमान को चाहिए कि अल्लाह ने जिन कामों को फ़र्ज़ किया है, उन्हें पूरी मुस्तैदी से करे, उसने जो सीमाएँ निर्धारित की हैं, उनसे बाहर न जाए और उसने जो चीज़ें हराम की हैं, उनके निकट न जाए।

2. अल्लाह और उसके रसूल ने जिन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं कहा है, उनके बारे में छानबीन न करने का आदेश उस ज़माने में था, जब आकाश से वह्य उतरने का सिलसिला जारी था, जहाँ तक आज उनका हुक्म जानने के लिए उनके बारे में छानबीन करने की बात है, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है।

इकतीसवीं हदीस

दुनिया के मायाजाल से मुक्ति

عَنْ أَبِيْ الْعَبَّاسْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ : دُلَّنِيْ عَلَى عَمَلٍ إِذَا عَمِلْتُهُ أَحَبَّنِي اللهُ، وَأَحَبَّنِي النَّاسُ ؟ فَقَالَ : **"اِزْهَدْ فِيْ الدُّنْيَا يُحِبَّكَ اللهُ ، وَازْهَدْ فِيْمَا عِنْدَ النَّاسِ يُحِبَّكَ النَّاسُ"**- حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَة وَغَيْرُهُ بِأَسَانِيْدُ حَسَنَةٍ.

अनुवाद

अबुल अब्बास सहल बिन साद साइदी (रज़ियल्लाहु अनहु) का वर्णन है कि एक व्यक्ति अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास आया और बोला : ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे कोई ऐसा कार्य बताइए कि मैं उसे करूँ तो मैं अल्लाह का प्यारा हो जाऊँ और लोगों का भी प्यारा हो जाऊँ। तो फ़रमाया : "दुनिया के मोह से आज़ाद रहो, अल्लाह का प्यारा बन जाओगे और लोगों के पास जो कुछ है, उसका लोभ न करो, लोग भी तुम्हें प्यार देंगे।" यह हदीस हसन दर्जे की है। इमाम इब्ने माजा [सुनन-ए-इब्ने माजा हदीस संख्या : 4102] आदि ने इसे हसन सनदों से रिवायत किया है।

संदेश

1. इस हदीस का संदेश यह है कि अगर इनसान अल्लाह का प्यारा बनना चाहता है तो दुनिया के मोह से मुक्ति प्राप्त करे और अगर

बंदों का प्यारा बनना चाहता है तो किसी की किसी वस्तु का लोभ न करे।

2. इस हदीस से भी पता चलता है कि सहाबा दुनिया तथा आख़िरत की सारी भलाइयाँ अपने दामन में समेट लेना चाहते थे, यही कारण है कि वे अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से इस तरह की बातों के बारे में पूछते रहते थे।
3. लोग सामान्यतः उस व्यक्ति को बुरा जानते हैं, जो उनसे कुछ माँगे।

बत्तीसवीं हदीस

हानि स्वीकार्य नहीं

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : **"لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ"**. حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَ الدَّارَقُطْنِيْ وَ غَيْرُهُمَا مُسْنَداً، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِيْ الْمُوَطَّأَ مُرْسَلاً عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيْهِ عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) فَأَسْقَطَ أَبَاسَعِيْدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقَوِّيْ بَعْضُهَا بَعْضاً.

अनुवाद

अबू सईद साद बिन मालिक बिन सिनान ख़ुदरी (रज़ियल्लाहु अनहु) का वर्णन है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमायाः "न हानि स्वीकार्य है, न किसी की हानि करना उचित है।" यह हदीस हसन दर्जे की है। इसे इमाम इब्ने माजा [इब्ने माजा ने इसे अब्दुल्लाह बिन अब्बास तथा उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु अनहुम से रिवायत किया है। देखिए सुनन-ए-इब्ने माजा हदीस संख्या : 2341 तथा 2340] और इमाम दारक़ुतनी [सुनन-ए-दारक़ुतनी : 4/288] आदि ने मुत्तसिल सनद से रिवायत किया है, जबकि इमाम मालिक ने अपनी किताब मुवत्ता में इसे मुरसल सनद से रिवायत किया है। उनकी सनद इस तरह है : "अम्र बिन यहया अपने पिता यहया से और वह नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) से रिवायत करते हैं।" इस तरह, अबू सईद ख़ुदरी (रज़ियल्लाहु अनहु) को छोड़ दिया है। अलबत्ता, इस हदीस की कई सनदें हैं, जो एक-दूसरे को मज़बूती प्रदान करती हैं।

संदेश

1. अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कम से कम शब्दों में बड़ी से बड़ी और व्यापक अर्थ वाली बात कहने की क्षमता प्रदान की गई थी, जिसका एक जीता जागता उदाहरण यह हदीस है।
2. यह हदीस एक महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत करती है कि इस्लाम किसी भी तरह की छोटी या बड़ी हानि को स्वीकार नहीं करता।
3. हर वह चीज़ जो हानिकारक हो, इस्लाम की नज़र में हराम है।
4. किसी की हानि करना हराम है।
5. अल्लाह ने अपने बंदों को किसी ऐसी बात का आदेश नहीं दिया है, जो उनके लिए हानिकारक हो।
6. इस्लाम शांति एवं सुरक्षा का धर्म है।

तेंतीसवीं हदीस

निर्णय के नियम

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : **"لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، وَلَكِنَّ البَيِّنَةَ عَلَى المُدَّعِي، وَالْيَمِيْنَ عَلَى مَنْ أَنكَرَ"**۔ حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيْ هَكَذَا وَ بَعْضُهُ فِيْ الصَّحِيْحَيْنِ.

अनुवाद

अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अनहुमा) का वर्णन है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : "अगर लोगों को उनके दावों के आधार पर दे दिया जाए, तो कुछ लोग लोगों की जान और माल का दावा कर बैठें। लेकिन, दावा करने वाले को प्रमाण प्रस्तुत करना है और इनकार करने वाले को क़सम खानी है।" यह हदीस हसन दर्जे की है। इमाम बैहक़ी [10/252] आदि ने इसे इसी तरह रिवायत किया है, जबकि इसका कुछ अंश सहीह बुख़ारी तथा सहीह मुस्लिम में मौजूद है।

संदेश

1. यह हदीस लोगों के बीच निर्णय करने का एक महत्वपूर्ण नियम बयान करती है कि दलील दावा पेश करने वाले को पेश करनी है। यदि उसने उचित प्रमाण प्रस्तुत कर दिया, तो उसके हक़ में निर्णय होगा, वरना प्रतिवादी को क़सम खानी होगी और इस तरह निर्णय उसके हक़ में चला जाएगा।

2. केवल दावे तथा अफ़वाहों के आधार पर किसी के हक़ में निर्णय नहीं किया जा सकता।
3. इस्लाम ने लोगों के जान-माल की सुरक्षा के सारे उपाय किए हैं।

चौंतीसवीं हदीस

बुराई से रोकना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُوْلُ : **"مَنْ رَأى مِنكُمْ مُنْكَراً فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ"**- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

अबू सईद ख़ुदरी (रज़ियल्लाहु अनहु) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना है : "तुममें से जो व्यक्ति कोई बुराई होती हुई देखे, वह उसे अपने हाथ से रोके; अगर हाथ से रोकने की शक्ति न हो, तो ज़बान से मना करे और अगर ज़बान से मना करने की शक्ति न हो, तो दिल से बुरा जाने तथा यह ईमान की सबसे कमज़ोर श्रेणी है।" इस हदीस को इमाम मुस्लिम [सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 49] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. यह हदीस इस्लाम के एक बहुत बड़े सिद्धांत की व्याख्या करती है कि हर मुसलमान को अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार भलाई का आदेश देना है और बुराई से रोकना है।
2. शरीयत इनसान को कठिनाई में डालना नहीं चाहती, यही कारण है कि उसने भलाई का आदेश देने और बुराई से रोकने की कई श्रेणियाँ बनाई हैं।

3. ईमान घटता और बढ़ता भी है। कभी कमज़ोर होता है, तो कभी मज़बूत। यही अह्ले सुन्नत वल-जमात का अक़ीदा है।

पैंतीसवीं हदीस

इस्लामी बंधुत्व को कमज़ोर करने वाली कुछ चीज़ें

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : **"لَا تَحَاسَدُوْا، وَلَا تَنَاجَشُوْا، وَلَا تَبَاغَضُوْا، وَلَا تَدَابَرُوْا، وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانَاً، الْمُسْلِمُ أَخُوْ الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يكْذِبُهُ، وَلَايَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيْرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسْبِ امْرِىءٍ مِّنَ الشَّرِّأَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ المُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ"**- رَوَاهُ مُسْلِمٌ

अनुवाद

अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अनहु) से रिवायत है, वह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : "एक-दूसरे से हसद न करो, क्रय-विक्रय के समय बोली बढ़ाकर एक-दूसरे को धोखा न दो, एक-दूसरे से द्वेष न रखो, एक-दूसरे से पीठ न फेरो और तुममें से कोई किसी के सौदे पर सौदा न करे तथा अल्लाह के बंदो, भाई-भाई हो जाओ। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है; वह उसपर अत्याचार नहीं करता, उसे बेसहारा नहीं छोड़ता, उससे झूठ नहीं बोलता और उसे तुच्छ नहीं जानता। परहेज़गारी यहाँ है। (यह कहते समय आपने अपने सीने की ओर इशारा किया और तीन बार यह बात कही।) किसी आदमी के बुरा होने के लिए इतना ही काफ़ी है कि वह अपने मुसलमान भाई को तुच्छ जाने। एक मुसलमान का सब कुछ दूसरे मुसलमान पर हराम है; उसका रक्त भी, उसका धन भी और उसकी प्रतिष्ठा भी।" इस हदीस

को इमाम मुस्लिम [सहीह मुस्लिम हदीस संख्याः 2564] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. यह इस्लामी बंधुता और भाई-चारा का माहौल बनाने की ताकीद करने वाली एक महत्वपूर्ण हदीस है।
2. इनसान को इस बात की कामना नहीं करनी चाहिए कि उसके भाई की नेमत छिन जाए।
3. ख़रीद-बिक्री के समय केवल ख़रीदने वाले को नुक़सान तथा बेचने वाले को लाभ पहुँचाने के लिए सामान का दाम बढ़ाना जायज़ नहीं है।
4. इस्लामी समाज में द्वेष तथा ईर्ष्या जैसी चीज़ों का कोई स्थान नहीं है।
5. एक-दूसरे को देखकर मुँह मोड़ना और पीठ फेरकर निकल जाना जैसी चीज़ें भी इस्लामी बंधुत्व के विपरीत होने के कारण मना हैं।
6. कोई किसी से कुछ ख़रीद रहा हो, तो ख़ुद ख़रीदने का प्रयास करना और कोई किसी से कुछ बेच रहा हो, तो ख़ुद बेचने का प्रयास करना जायज़ नहीं है।
7. मुस्लिम समाज के सारे लोग अल्लाह के बंदे हैं और उन्हें भाई-भाई बनकर रहना चाहिए।

8. इस्लामी बंधुत्व का तक़ाज़ा यह है कि मुस्लिम समाज में न किसी पर अत्याचार हो, न किसी को बेसहारा छोड़ा जाए, न झूठ बोला जाए और न तुच्छ जाना जाए।
9. एक मुसलमान की असल पूँजी तक़वा है, जो दिल में रहने की चीज़ है।

छत्तीसवीं हदीस

मुसलमानों की ज़रूरतें पूरी करने का महत्व

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللهُ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَاللهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ أَخِيْهِ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقاً يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْماً سَهَّلَ اللهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقاً إِلَى الْجَنَّةِ، وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِ اللهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهُمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ"۔ رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهَذَا اللَّفْظِ

अनुवाद

अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अनहु) का वर्णन है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : "जिसने किसी मोमिन की दुनिया की कोई परेशानी दूर की, अल्लाह क़यामत के दिन उसकी कोई परेशानी दूर करेगा। जिसने किसी अभावग्रस्त व्यक्ति के साथ आसानी की, अल्लाह दुनिया एवं आख़िरत में उसके साथ आसानी करेगा। जिसने किसी मुसलमान की कमी को छिपाया, अल्लाह दुनिया एवं आख़िरत में उसकी कमी को छिपाएगा। अल्लाह अपने बंदे की मदद में उस समय तक रहता है, जब तक बंदा अपने भाई की मदद में रहता है। जो व्यक्ति ज्ञान अर्जन करने के लिए किसी मार्ग में चलता है, अल्लाह इसके बदले में उसके लिए जन्नत का मार्ग आसान कर देता है। जब कुछ लोग

अल्लाह के किसी घर में एकत्र होकर अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और उसे आपस में समझने और समझाने का कार्य करते हैं, तो उनपर शांति अवतरित होती है, उन्हें अल्लाह की कृपा ढाँप लेती है, उन्हें फ़रिश्ते घेर लेते हैं और उनकी चर्चा अल्लाह उन लोगों के बीच करता है, जो उसके पास हैं। जिसका कर्म उसे पीछे छोड़ दे, उसका कुल उसे आगे नहीं ले जा सकता।" इस हदीस को इन शब्दों के साथ इमाम मुस्लिम [सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 2699] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. यह हदीस ऐसे लोगों को शुभसूचना देती है, जो लोगों की सेवा और सहायता करते हैं तथा अल्लाह की किताब को पढ़ने, सीखने और समझने के प्रयास में रहते हैं। साथ ही इस बात की ओर प्रेरित करती है कि इनसान अपने कुल पर भरोसा करने की बजाय अमल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करे।
2. मोमिनों की परेशानी दूर करने और अभावग्रस्त लोगों के लिए आसानी करने का महत्व।
3. मुसलमान की कमियों को छुपा लेना चाहिए, जब वह ढिटाई के साथ बुराई न करता हो और लोगों के बीच बिगाड़ पैदा करने का काम न करता हो।
4. ज्ञान प्राप्त करने के लिए निकलने का महत्व।

5. अल्लाह की किताब से लगाव इनसान को अल्लाह की रहमत का हक़दार बना देता है।
6. अल्लाह के घर में उसकी किताब का ज्ञान प्राप्त करने के लिए बैठने का महत्व।
7. अल्लाह के यहाँ इनसान को प्रतिफल उसके कुल के आधार पर नहीं, बल्कि कर्म के आधार पर मिलना है।

सैंतीसवीं हदीस

नेकियों की प्रेरणा

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَّهُ قَالَ : **"إِنَّ اللهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذَلِكَ؛ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ إِلَى أَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ. وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً"**۔ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيْحَيهِمَا بِهَذِهِ الْحُرُوْفِ.

अनुवाद

अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अनहुमा) का वर्णन है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने बरकत वाले और महान प्रभु से रिवायत करते हुए फ़रमाया : "बेशक अल्लाह ने नेकियों और गुनाहों को लिख लिया है। फिर उसका विस्तार करते हुए फ़रमाया : जिसने किसी सत्कर्म का इरादा किया और उसे कर नहीं सका, अल्लाह उसे अपने यहाँ एक पूरी नेकी लिख लेता है और अगर इरादे के अनुसार उसे कर लिया, तो उसके बदले में अपने पास दस से सात सौ, बल्कि उससे भी अधिक नेकियाँ लिख देता है। और अगर किसी बुरे काम का इरादा किया, लेकिन उसे नहीं किया, तो अल्लाह उसे अपने यहाँ एक पूरी नेकी लिख देता है और अगर इरादे के अनुसार उसे कर लिया, तो उसे केवल एक गुनाह लिखता है।" इस हदीस को इन शब्दों के

साथ इमाम बुख़ारी ने सहीह बुख़ारी [हदीस संख्या : 6491] और इमाम मुस्लिम ने सहीह मुस्लिम [हदीस संख्या : 131] में रिवायत किया है।

संदेश

1. इस हदीस को नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने अपने रब से रिवायत किया है और इस तरह की हदीस हदीस-ए-क़ुदसी कहलाती है।
2. यह हदीस इस बात का प्रमाण है कि अल्लाह अपने बंदों पर बड़ा अनुग्रहशील है। अगर ऐसा न होता, तो शायद ही कोई जन्नत का मुँह देख पाता, क्योंकि इनसान से पुण्य से कहीं अधिक पाप ही होते हैं।
3. यह अल्लाह की कृपा है कि वह नेकी का बदला दस गुना से सात सौ गुना, बल्कि अनगिनत गुना अधिक देता है, जबकि गुनाह का बदला केवल एक गुना देता है।
4. नेकी लिखने पर नियुक्त फ़रिश्ते बंदों के शरीर के अंगों से होने वाले कार्यों के साथ-साथ दिल के कार्यों को भी लिखते हैं।
5. सभी कामों में नीयत का बड़ा महत्व और प्रभाव है।

अड़तीसवीं हदीस

अल्लाह के औलिया

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : **"إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ : مَنْ عَادَى لِيْ وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالْحَرْبِ. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِيْ بِشَيءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ. ولَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِيْ يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِيْ يُبْصِرُ بِهِ، وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِيْ بِهَا. وَلَئِنْ سَأَلَنِيْ لأُعطِيَنَّهُ، وَلَئِنْ اسْتَعَاذَنِيْ لأُعِيْذَنَّهُ"**. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

अनुवाद

अबू हुरैरा (रज़ियल्लाहु अनहु) का वर्णन है, वह कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमायाः "उच्च एवं महान अल्लाह का फ़रमान है : जिसने मेरे किसी 'वली' (मित्र) से दुश्मनी की, उससे मेरी ओर से युद्ध का एलान है। मेरा बंदा जिन चीज़ों के द्वारा मेरी निकटता प्राप्त करता है, उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय वह चीज़ें हैं, जो मैंने उसपर फ़र्ज़ की हैं। बंदा नफ़ल इबादतों के ज़रिए मेरी निकटता प्राप्त करता जाता है, यहाँ तक कि मैं उससे प्रेम करने लगता हूँ। फिर, जब मैं उससे प्रेम करता हूँ, तो उसका कान बन जाता हूँ, जिससे वह सुनता है; उसकी आँख बन जाता हूँ, जिससे वह देखता है; उसका हाथ बन जाता हूँ, जिससे वह पकड़ता है और उसका पाँव बन जाता हूँ, जिससे वह चलता है। ऐसे में अगर वह मुझसे माँगे, तो मैं उसे ज़रूर दूँगा और अगर मुझसे शरण माँगे, तो मैं से ज़रूर शरण दूँगा।" इस

हदीस को इमाम बुख़ारी [सहीह बुख़ारी हदीस संख्या : 6502] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. इस हदीस में यह बताया गया है कि वह कौन लोग हैं, जो अल्लाह के 'वली' (प्रिय) होते हैं।
2. अल्लाह के 'वली' फ़र्ज़ इबादतों के साथ-साथ नफ़ल इबादतों की भी विशेष रूप से पाबंदी करते हैं।
3. अल्लाह की निकटता प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण ज़रिया फ़र्ज़ इबादतें हैं।
4. सुन्नतों की पाबंदी बंदे को अल्लाह की मुहब्बत का हक़दार बना देती है।
5. जब अल्लाह किसी बंदे से मुहब्बत करने लगता है, तो उसे बुरे कामों से बचाता है और उसकी दुआएँ सुनता है।
6. अल्लाह के किसी वली से दुश्मनी बहुत बड़ा पाप है।

उनतालीसवीं हदीस

गलती से तथा भूलवश किए हुए काम की पकड़ न होना

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ : **"إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِيْ عَنْ أُمَّتِيْ الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ"**۔ حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالْبَيْهَقِي وَغَيْرُهُمَا.

अनुवाद

अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अनहुमा) का वर्णन है कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : "अल्लाह ने मेरे लिए, मेरी उम्मत के गलती से किए हुए, भूलवश किए हुए और ज़बरदस्ती कराए गए कार्यों को क्षमा कर दिया है।" यह हदीस हसन दर्जे की है। इसे इमाम इब्ने माजा [सुनन-ए-इब्ने माजा हदीस संख्या : 2045] और इमाम बैहक़ी [7/356-357] आदि ने रिवायत किया है।

संदेश

1. इस महत्वपूर्ण हदीस में यह बताया गया है कि इनसानी जीवन में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ भी आती हैं, जिनमें किए गए कामों की अल्लाह के यहाँ पकड़ नहीं होती।
2. इनसान से जो काम ग़लती से या भूलवश हो जाए या उससे ज़बरदस्ती करा लिया जाए, उसपर उसे कोई गुनाह नहीं होता।

लेकिन, यह विशेषता केवल अल्लाह के अंतिम नबी मुहम्मद (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की उम्मत को ही प्राप्त है।

3. इस्लाम यह नहीं चाहता कि कोई किसी कठिनाई और परेशानी में पड़े।

चालीसवीं हदीस

दुनिया के माया मोह से दामन बचाए रखने की ताकीद

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : أَخَذَ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِمنْكِبَيَّ فَقَالَ : **"كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ"**. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ : إِذَا أَمْسَيْتَ فَلا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلا تَنْتَظِرِ المَسَاءَ. وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَيَاتِكَ لمَوْتِكَ". رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

अनुवाद

अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अनहुमा) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने मेरे कंधे को पकड़ा और फ़रमाया : "दुनिया में ऐसे रहो, जैसे एक परदेसी हो अथवा राह चलते मुसाफ़िर हो।" तथा अब्दुल्लाह बिन उमर (रज़ियल्लाहु अनहुमा) कहा करते थे : जब शाम करो, तो सुबह की प्रतीक्षा न करो और जब सुबह करो, तो शाम की प्रतीक्षा न करो तथा अपनी सेहत में बीमारी के लिए और जीवन में मौत के लिए कुछ प्राप्त कर लो। इस हदीस को इमाम बुख़ारी [सहीह बुख़ारी हदीस संख्या : 6414] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. यह हदीस आशाओं की दुनिया कम आबाद करने तथा दुनिया के माया मोह में फँसने की बजाय आख़िरत से दिल लगाने और मौत की तैयारी करने की प्रेरणा देती है।
2. इनसान को चाहिए कि दुनिया को रहने का स्थान न समझे और जो भी समय मिल रहा है, उसे ग़नीमत जानकर अधिक से अधिक अच्छे कर्म करता रहे।

इकतालीसवीं हदीस

नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम का अनुसरण

عَنْ أَبِيْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللهِ بِنِ عمْرِو بْنِ العَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : **"لاَيُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعاً لِمَا جِئْتُ بِهِ"**. حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، رُوِّيْنَاهُ فِيْ كِتَابِ الْحُجَّةِ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

अनुवाद

अबू मुहम्मद अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस (रज़ियल्लाहु अनहुमा) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : "तुममें से कोई उस समय तक मोमिन नहीं हो सकता, जब तक उसकी इच्छाएँ मेरी लाई हुई शरीयत के अधीन न हो जाएँ।" यह हदीस हसन सहीह है। इसे 'अल-हुज्जा अला तारिक अल-महज्जा' नामी किताब में सहीह सनद से नक़ल किया गया है।

संदेश

1. यह एक छोटी-सी मगर महत्वपूर्ण हदीस है, जो यह बताती है कि कोई व्यक्ति उस समय तक पूरा मोमिन नहीं हो सकता, जब तक उसकी सारी आकांक्षाएँ और इच्छाएँ नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) की लाई हुई शरीयत के अधीन न हों।
2. ईमान घटता और बढ़ता है और यही अहले सुन्नत वल-जमात का अक़ीदा है।

3. सच्चा मोमिन बनने के लिए ज़रूरी है कि आदमी अपनी अक़्ल और रिती-रिवाज को शरीयत से आगे न रखे।
4. किसी व्यक्ति को किसी ऐसे मामले में कोई अख़्तियार नहीं है, जिसके बारे में अल्लाह और उसके रसूल का निर्णय मौजूद हो।

बयालीसवीं हदीस

अल्लाह की असीम क्षमा

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ يَقُوْلُ : قَالَ اللهُ تَعَالَى : **"يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ مَا دَعَوتَنِيْ وَ رَجَوتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ مِنْكَ وَلَا أُبَالِيْ، يَا ابْنَ آدَمَ لَو بَلَغَتْ ذُنُوْبُكَ عَنَانَ السَّمَاءِ ثُمَّ استَغْفَرْتَنِيْ غَفَرْتُ لَكَ، يَا ابْنَ آدَمَ إِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِيْ بِقُرَابِ الْأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِيْ لاَ تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً"**۔ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحَيْحٌ.

अनुवाद

अनस (रज़ियल्लाहु अनहु) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना है : “उच्च एवं महान अल्लाह फ़रमाता है : ऐ आदम की संतान, जब तक तू मुझे पुकारता रहेगा और मुझसे अच्छी उम्मीद रखेगा, मैं तुझे माफ़ करता रहूँगा, चाहे तेरे कर्म कैसे ही हों और मुझे इससे कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता। ऐ आदम की संतना, अगर तेरे गुनाह आकाश की ऊँचाइयों तक पहुँच जाएँ, फिर तू मुझसे क्षमायाचना करे, तो मैं तुझे क्षमा कर दूँगा। ऐ आदम के बेटे, अगर तू मेरे पास ज़मीन भर गुनाहों के साथ आए और तू मुझे इस हाल में मिले कि किसी को मेरे साझी न ठहराता हो, तो मैं तेरे पास ज़मीन भर क्षमा लेकर आऊँगा।” इस हदीस को इमाम तिरमिज़ी [सुनन-ए-मिरमिज़ी हदीस संख्या : 3540] ने रिवायत किया है और हसन सहीह कहा है।

संदेश

1. यह एक महत्तवपूर्ण हदीस है, जो बंदों को अल्लाह के प्रति आशान्वित रखती है।
2. गुनाह चाहे जितने बड़े हों और जितनी संख्या में हों, यदि बंदा सच्चे दिल से अल्लाह से क्षमायाचना करे, तो अल्लाह क्षमा कर देता है।
3. गुनाह माफ़ करवाने के लिए ज़रूरी है कि बंदा अल्लाह को पुकारता रहे और उससे अच्छी उम्मीद रखे।
4. इस हदीस से तौहीद (एकेश्वरवाद) के महत्व का अंदाज़ा होता है कि उसके नतीजे में इनसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं।
5. यह हदीस एक तरफ़ यह स्पष्ट करती है इनसान कमज़ोर है तथा गुनाह के कामों में अत्यधिक संलिप्त रहता है, तो दूसरी तरफ़ इस बात का भी बखान करती है कि अल्लाह अत्यंत करुणामय और दयावान् है।

इन बयालीस हदीसों को दर्ज करने के बाद इमाम नववी लिखते हैं :

“मैंने इस्लाम के सिद्धांतों पर आधारित तथा अनगिनत छोटे-बड़े नियमों, सफल जीवन व्यतीत करने के तौर-तरीक़ों और नाना प्रकार के आदेश तथा निषेधों से संबंधित हदीसें जमा करने का जो इरादा किया था, वह अब संपन्न हुआ।

अब मैं इन हदीसों के कठिन शब्दों के संबंध में एक बहुत ही संक्षिप्त अध्याय जोड़कर सबसे पहले क्रमवार इन शब्दों का सही रूप स्पष्ट करूँगा और उन्हें पढ़ने का सही तरीक़ा बताऊँगा, ताकि उन्हें पढ़ने में कोई त्रुटि न हो और उन्हें याद कर लेने के बाद आदमी पूरे तौर पर निश्चिंत हो जाए। फिर यदि अल्लाह ने चाहा, तो इन हदीसों की व्याख्या के लिए अलग से एक किताब भी लिखूँगा। आशा है कि अल्लाह, जो कृपालु और दयावान है, मुझे इन हदीसों में छुपी महत्वपूर्ण बातों, फ़ायदों और ज्ञान-विज्ञान को सामने लाने का सामर्थ्य प्रदान करेगा, जो हर मुसलमान की ज़रूरत हैं और जिन्हें पढ़ने के बाद पाठक की नज़र में इन हदीसों का महत्व और बढ़ जाएगा तथा उसे इस बात का अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने इन्हीं हदीसों का चयन क्यों किया है।

मैंने अलग से शरह लिखने का इरादा इसलिए किया, ताकि जो इस संक्षिप्त पुस्तक को कंठस्थ करना चाहे, उसे ऐसा करने में किसी कठिनाई का सामना न करना पड़े। अलबत्ता, यदि कोई इसके साथ शरह को मिलाना चाहे, तो उसे इसकी अनुमति है और वह अल्लाह के विशेष अनुग्रह का भी हक़दार हो जाएगा। क्योंकि वह उस पवित्र हस्ती की वाणी के रहस्यों को जान सकेगा, जिसके बारे में ख़ुद अल्लाह तआला का फ़रमान हैः ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾ (अर्थात आप अपनी ओर से कुछ नहीं बोलते, यह तो बस वह्य (प्रकाशना) है, जो

आपकी ओर उतारी जाती है।) सारी प्रशंसा अल्लाह की है, प्रारंभ में भी और अंत में भी तथा दृश्य रूप से भी और अदृश्य रूप से भी।"

हाफ़िज़ इब्ने रजब का परिशिष्ट

तेंतालीसवीं हदीस

मीरास की तक़सीम

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : **"أَلْحِقُوْا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبْقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".** خَرَّجَهُ الْبُخَارِي وَ مُسْلِمٌ

अनुवाद

अब्दुल्लाह बिन अब्बास (रज़ियल्लाहु अनहुमा) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : "निर्धारित हिस्से उनके हक़दारों तक पहुँचा दो और निर्धारित हिस्सों के बाद जो शेष बच जाए, वह मरने वाले के निकटतम पुरुष संबंधी के लिए है।" इस हदीस को इमाम बुख़ारी [सहीह बुख़ारी हदीस संख्या : 6732] और इमाम मुस्लिम [सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 1615] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. यह मीरास के वितरण के संबंध में एक महत्वपूर्ण हदीस है।
2. इस हदीस से मालूम हुआ कि मीरास तक़सीम करते समय पहले उन लोगों को दिया जाएगा, जो निश्चित हिस्सों के हक़दार हैं।

3. निश्चित भाग वालों को उनका भाग दे देने के बाद जो बच जाए, वह मरने वाले के निकटतम पुरुष संबंधी अथवा संबंधियों के लिए है, जिन्हें 'असबा' कहा जाता है।
4. निकटमत 'असबा' के होते हुए दूर के 'असबा' मीरास के हक़दार नहीं बनेंगे।

चवालीसवीं हदीस

दूध के रिश्ते

عَنْ عَائِشَةَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهَا) عَنِ النَّبِيِّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) قَالَ : "الرَّضَاعَةُ تُحَرِّمُ مَا تُحَرِّمُ الْوِلَادَةُ"۔ خَرَّجَهُ الْبُخَارِي وَ مُسْلِمٌ

अनुवाद

आइशा (रज़ियल्लाहु अनहा) का वर्णन है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमायाः "अपनी माँ के सिवा किसी अन्य स्त्री का दूध पीने से वह रिश्ते हराम हो जाते हैं, जो जन्म से हराम होते हैं।" इस हदीस को इमाम बुख़ारी [सहीह बुख़ारी हदीस संख्या : 2646] तथा इमाम मुस्लिम [सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 3105] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. इस हदीस से मालूम हुआ कि जिन ख़ानदानी रिश्ते की स्त्रियों, जैसे माँ, ख़ाला, फूफी और बहन आदि से निकाह करना हराम है, उन दूध के रिश्ते की स्त्रियों, जैसे रज़ाई माँ, रज़ाई ख़ाला, रज़ाई फूफी और रज़ाई बहन आदि से भी निकाह करना हराम है।
2. जिन स्त्रियों से निकाह करना हराम है, उनकी तफ़सील सूरा अन-निसा की आयत संख्या 22-23 में मौजूद है।

3. दूध पिलाने के कारण जो रिश्ता बनता है, उसके कारण निकाह हराम हो जाता है और एक-दूसरे को देखना, एकांत में रहना तथा यात्रा करना जायज़ होता है। परन्तु उससे जायदाद में उत्तराधिकार सिद्ध नहीं होता।
4. अन्य हदीसों से पता चलता है कि दूध पीने के कारण निकाह हराम होने का हुक्म उस समय सिद्ध होता है, जब शैशवकाल में, दूध पीने के दिनों में, कम से कम पाँच बार भर पेट दूध पिया जाए।

पैंतालीसवीं हदीस

हराम वस्तु को हलाल बनाने की तदबीर करना

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ يَقُوْلُ : "إِنَّ اللهَ وَرَسُوْلَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَالْأَصْنَامِ"۔ فَقِيْلَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ أَرَأَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَيُدهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ قَالَ : "لَا، هُوَ حَرَامٌ"۔ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) عِنْدَ ذٰلِكَ : "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُوْدَ، إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَأَجْمَلُوْهُ، ثُمَّ بَاعُوْهُ، فَأَكَلُوْا ثَمَنَهُ"۔ خَرَّجَهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ

अनुवाद

जाबिर बिन अब्दुल्लाह (रज़ियल्लाहु अनहुमा) कहते हैं कि उन्होंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को मक्का विजय के साल, जब आप मक्का में थे, कहते हुए सुना है : "अल्लाह और उसके रसूल ने शराब, मरे हुए जानवर, सुअर और मूर्तियों को बेचने से मना किया है।" किसी ने कहा : ऐ अल्लाह के रसूल, मरे हुए जानवरों की चरबी के बारे में आपका क्या ख़याल है, जिसे कश्तियों में मला जाता है, चमड़ों में लगाया जाता है और लोग उससे चिराग़ भी जलाते हैं? आपने फ़रमाया : “उसका उपयोग जायज़ नहीं है, वह हराम है।” फिर इसके बाद अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : “अल्लाह यहूदियों का सर्वनाश करे! जब अल्लाह ने उनपर चरबी हराम कर दी, तो उसे पिघलाकर बेचा और उसका पैसा खाया।” इस हदीस को इमाम

बुख़ारी [सहीह बुख़ारी हदीस संख्या : 2236 तथा 4633] तथा इमाम मुस्लिम [सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 2581] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. इस्लाम ने हर उस चीज़ को हलाल किया है, जो मानव समाज के लिए लाभदायक है और हर उस चीज़ को हराम किया है, जो मानव समाज के लिए हानिकारक है।
2. शराब, मरे हुए जानवर, सुअर और मूर्तियों को बेचना हराम है।
3. वह वस्तु, जिससे किसी भी प्रकार का लाभ उठाना उचित न हो, उसका बेचना और उसकी क़ीमत खाना हराम है।
4. किसी हराम वस्तु को हलाल करने के लिए अपनाई गई कोई भी तदबीर अमान्य है।

छियालीसवीं हदीस

नशीली चीज़ों की मनाही

عَنْ أَبِيْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِيْهِ أَبِيْ مُوْسَى (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) أَنَّ النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ، فَسَأَلَهُ عَنْ أَشْرِبَةٍ فِيْهَا، فَقَالَ : "وَمَا هِيَ؟" قَالَ : الْبِتْعُ وَالْمِزْرُ. فَقِيْلَ لِأَبِيْ بُرْدَةَ : وَ مَا الْبِتْعُ؟ قَالَ : نَبِيْذُ الْعَسَلِ، وَالْمِزْرُ نَبِيْذُ الشَعِيْرِ، فَقَالَ : "كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ". خَرَّجَهُ الْبُخَارِى.

अनुवाद

अबू बुरदा अपने पिता अबू मूसा (रज़ियल्लाहु अनहु) से रिवायत करते हैं कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने उनको यमन की ओर भेजा और उन्होंने आपसे वहाँ पाई जाने वाली कुछ पीने की चीज़ों के बारे में पूछा, तो आपने फ़रमाया : “वह क्या हैं?” उन्होंने कहा : मधु तथा जौ की नबीज़। (बाद में) अबू बुरदा से इन दोनों पेय-पदार्थों के लिए हदीस में प्रयुक्त अरबी शब्दों का अर्थ पूछा गया, तो उन्होंने उनका अर्थ बताया। ऐसे में आपने फ़रमाया : “हर नशे वाली वस्तु हराम है।” इस हदीस को इमाम बुख़ारी [सहीह बुख़ारी हदीस संख्या : 6214] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. यह हदीस मादक पदार्थों के बारे में एक सिद्धांत प्रस्तुत करती है कि हर वह वस्तु जिसमें नशा हो तथा वह इनसान के सोचने-

समझने की शक्ति को प्रभावित करे, वह हराम है, चाहे वह कैसी भी हो और किसी भी चीज़ से बनी हो।

2. इस हदीस से भी मालूम हुआ कि सहाबा हमेशा शरई अहकाम को जानने के प्रयास में रहते थे।
3. इस्लाम एक संपूर्ण जीवन-दर्शन का नाम है और जीवन के हर भाग के लिए उसने राह दिखाई है और व्यापक सिद्धांत प्रदान किए हैं।

सैंतालीसवीं हदीस

खान-पान में संतुलन

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) يَقُوْلُ : "مَا مَلَأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِّنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ أُكُلَاتٍ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ، فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ، وَثُلُثٌ لِّشَرَابِهِ، وَثُلُثٌ لِّنَفَسِهِ». رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِي وَالنَّسَائي وَابْنُ مَاجَه وَ قَالَ التِّرْمِذِي : حَدِيْثٌ حَسَنٌ ـ

अनुवाद

मिक़दाम बिन मादीकरिब (रज़ियल्लाहु अनहु) कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) को कहते हुए सुना है : "किसी आदमी ने कोई बरतन अपने पेट से अधिक बुरा नहीं भरा। आदम की संतान के लिए खाने के चंद लुक़मे काफ़ी हैं, जो उसकी पीठ सीधी रखें। अगर अधिक खाना ज़रूरी हो, तो पेट का एक तिहाई भाग खाने के लिए, एक तिहाई भाई पीने के लिए और एक तिहाई भाग सांस लेने के लिए हो।" इस हदीस को इमाम अहमद [मुसनद-ए-अहमद : 3/132], इमाम तिरमिज़ी [सुनन-ए-तिरमिज़ी हदीस संख्या : 2380], इमाम नसई [अलकुबरा हदीस संख्या : 6769] और इमाम इब्ने माजा [सुनन इब्ने माजा हदीस संख्या : 3345] ने रिवायत किया है तथा इमाम तिरमिज़ी ने इसे हसन दर्जे की हदीस कहा है।

संदेश

1. एक मुसलमान का पूरा जीवन संतुलित होना चाहिए और इसकी झलक उसके खान-पान में भी दिखनी चाहिए।
2. चूँकि भरपेट खाने से कई तरह की बीमारियाँ जन्म लेती हैं, इसलिए इनसान को उससे बचना चाहिए।
3. खाना-पीना ज़िंदा रहने का आधार है, जीवन का उद्देश्य नहीं; इसलिए उसे अधिक महत्व देना दरअसल उद्देश्य से भटकाव है।
4. इब्ने रजब कहते हैं कि यह हदीस चिकित्सा विज्ञान का एक व्यापक सिद्धांत प्रस्तुत करती है।

अड़तालीसवीं हदीस

मुनाफ़िक़ की निशानियाँ

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقاً، وَإِنْ كَانَتْ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ فِيْهِ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا؛ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ"۔ خَرَّجَهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِمٌ

अनुवाद

अब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़ियल्लाहु अनहुमा) का वर्णन है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : "चार बातें ऐसी हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर होंगी, वह मुनाफ़िक़ होगा तथा यदि उसके अंदर उनमें से कोई एक बात होगी, तो उसके अंदर निफ़ाक़ का एक गुण होगा, यहाँ तक कि उसे छोड़ दे; जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो तोड़ दे, जब किसी से झगड़ा करे तो गाली बके और जब वचन दे तो धोखा दे।" इस हदीस को इमाम बुख़ारी [सहीह बुख़ारी हदीस संख्या : 34 तथा 2469] तथा इमाम मुस्लिम [सहीह मुस्लिम हदीस संख्या : 58] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. यह हदीस इनसानी समाज को कुछ ऐसी बातों से दूर रखना चाहती है, जो उसके ताने-बाने को नष्ट कर देने वाली हैं।

2. दरअसल निफ़ाक़ यह है कि इनसान दिखाए कुछ और मन में कुछ और रखे।
3. इस हदीस में झूठ बोलने, वादा तोड़ने, झगड़ते समय बदज़बानी करने और वचन भंग करने को निफ़ाक़ के कार्य बताते हुए इनसे सावधान किया गया है।

उनचासवीं हदीस

अल्लाह पर पूर्ण विश्वास

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ، تَغْدُوْ خِمَاصاً، وَتَرُوْحُ بِطَاناً" رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه وَابْنُ حِبَّانَ فِيْ صَحِيْحِهِ وَالْحَاكِمُ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : "حَسَنٌ صَحِيْحٌ".

अनुवाद

उमर बिन ख़त्ताब (रज़ियल्लाहु अनहु) का वर्णन है कि नबी (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) ने फ़रमाया : "अगर तुम अल्लाह पर वैसा ही भरोसा करने लगो, जैसा भरोसा होना चाहिए, तो वह तुम्हें उसी तरह रोज़ी दे, जैसे चिड़ियों को रोज़ी देता है; वह सुबह को खाली पेट निकलती हैं और शाम को पेट भरकर लौटती हैं।" इस हदीस को इमाम अहमद [मुसनद-ए-अहमद : 1/30 तथा 52], इमाम तिरमिज़ी [सुनन-ए-तिरमिज़ी हदीस संख्या : 3344], इमाम नसई [अल-कुबरा : 8/79], इमाम इब्ने माजा [सुनन-ए-इब्ने माजा हदीस संख्या : 4164] तथा इमाम इब्ने हिब्बान ने अपनी सहीह [730] में और हाकिम [4/318] ने रिवायत किया है और तिरमिज़ी ने इसे हसन सहीह कहा है।

संदेश

1. इनसान को हर मामले में अल्लाह पर पूर्ण विश्वास रखना चाहिए।

2. अल्लाह पर विश्वास की शक्ति वह हथियार है, जिससे हर भलाई प्राप्त की जा सकती है।
3. इनसान को अल्लाह पर विश्वास के साथ-साथ सांसारिक साधनों का भी उपयोग करना है। यह विश्वास के विपरीत नहीं है।

पचासवीं हदीस

अल्लाह के ज़िक्र का महत्व

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) رَجُلٌ، فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيْنَا، فَبَابٌ نَتَمَسَّكُ بِهِ جَامِعٌ؟ قَالَ : "لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِّنْ ذِكْرِ اللهِ -عَزَّ وَجَلَّ"- خَرَّجَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بِهذَا اللَّفْظِ

अनुवाद

अब्दुल्लाह बिन बुस्र (रज़ियल्लाहु अनहु) कहते हैं कि अल्लाह के रसूल (सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम) के पास एक व्यक्ति आया और कहने लगा कि ऐ अल्लाह के रसूल, इस्लाम ने बहुत-से कामों के आदेश दिए हैं। अतः, आप हमें कोई ऐसा व्यापक कार्य बताएँ, जिसे हम मज़बूती से पकड़ लें। आपने फ़रमाया : "तेरी ज़बान हमेशा (सर्वशक्तिमान एवं महान) अल्लाह के ज़िक्र से तर रहे।" इस हदीस को इन शब्दों के साथ इमाम अहमद [4/188 तथा 190] ने रिवायत किया है।

संदेश

1. यह हदीस अल्लाह के ज़िक्र के महत्व को स्पष्ट करती है।
2. इनसान को कभी अल्लाह के ज़िक्र से ग़ाफ़िल नहीं होना चाहिए।
3. अल्लाह के ज़िक्र से शरीयत का पालन करना आसान हो जाता है।

4. सहाबा हमेशा शरीयत को जानने, समझने और उसपर अमल करने के लिए तत्पर रहते थे।